तसलीम अहमद M.L.A

उत्तरांचल

राज्य विधान सभा के वर्ष 2006 के प्रथम सत्र में

श्री सुदर्शन अग्रवाल

महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल

का

अभिभाषण

देहरादून, बुधवार, 22 मार्च, 2006 (चैत्र 01, शक सम्वत् 1928)

उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष 2006 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल का अभिभाषण

माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

1. सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के प्रति नमन व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूँ। मुझे इस बात का हर्ष है कि सम्मानित सदन द्वारा जनभावनाओं के अनुरूप उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने हेतु एक संकल्प पारित करने के उपरान्त मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से पुनः यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के अद्यतन सम्पन्न हुए विधान सभा सत्रों को सुचारु रूप से संचालित करने में आपके सकारात्मक प्रयासों के लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने की दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयत्न करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने के लिए मैं जनपद हरिद्वार के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

3. इस वर्ष शीतकाल में वर्षा न होने के कारण विशेष रूप से असिंचित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनपदों में सूखे की स्थिति का सर्वेक्षण कर रबी की फसल को 50 प्रतिशत अथवा अधिक क्षति होने के कारण 11 जनपदों की 56 तहसीलों तथा 3 उप तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है तथा निरन्तर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों की मुख्य देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई देयों) की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा विविध देयों यथा बैंक देय, व्यापार कर देयों की वसूली हेतु जोर–दबाव न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- शासन द्वारा सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत कार्यक्रम प्रारम्भ करने, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने, खाद्यान्न आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पशुचारे तथा उपचार की व्यवस्था तथा रोजगारपरक कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दे दिये गए है।
- त्वरित सूखा राहत हेतु पेयजल आपूर्ति हेतु रुपये 27 लाख तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु रुपये 53.70 लाख की स्वीकृति जनपदों को प्रदान की गई है।
- कृषि, उद्यान, पशुपालन, स्वास्थ्य, पुष्टाहार, पेयजल, राजस्व तथा ग्राम्य विकास विभाग के राहत प्रस्तावों को सम्मिलित कर भारत सरकार को राहत सहायता हेतु मैमोरेन्डम प्रेषित किया जा रहा है तथा केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण–अध्ययन आयोजित

किया जा रहा है। मेरी सरकार सूखे की स्थिति में प्रदेश की जनता को भरपूर राहत पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है।

4. मेरी सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य में किये जा रहे चहुमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006–07 के लिए योजना आयोग ने वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाते हुए गत वर्ष की तुलना में व्यापक रूप से वृद्धि कर चार हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। योजना आयोग के इस निर्णय से राज्य के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय आधार प्राप्त हो सकेगा व नवसृजित राज्य अवस्थापना विकास में एक सराहनीय भूमिका निभाने में सफल हो पाएगा। मैं इस सद्भावना के लिए इस सदन की ओर से योजना आयोग को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

5. मेरी सरकार द्वारा राज्य में अधिकाधिक पूँजी निवेश बढ़ाए जाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 20 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। राज्य का ऋण जमा अनुपात जो कि राज्य सृजन के समय 24.26 प्रतिशत था, वह दिसम्बर, 2005 में बढ़कर 43.89 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। राज्य में मेरी सरकार द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रणाली लागू कर दी गई है और इसे प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भी अधिनियमित किया है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा संरचित भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क, पेयजल आपूर्ति, सिंचन क्षमता वृद्धि, आवासीय सुविधा का प्रबन्ध एवं दूरसंचार व्यवस्था का विस्तार के प्रमुख अंशों का समावेश किया गया है तथा मेरी सरकार द्वारा भारत निर्माण के अन्तर्गत उत्तरांचल निर्माण की एक परिकल्पना के साथ राज्य सरकार से सीधे सम्बन्धित 05 मदों में इंगित समस्त परियोजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों को पहुँचाने की दृष्टि से कार्य योजना तैयार की गयी है एवं उसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

7. सुशासन की ओर विशेष ध्यान देते हुए राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को उत्तरांचल शासन के संगठनात्मक ढाँचे, शासन/प्रशासन में नैतिकता, कार्मिक प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त बनाने, वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने, राज्य से ग्राम्य स्तर तक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपाय, स्वायत्तशासी/पंचायतीराज संस्थाओं, सामाजिक पूँजी, न्यास, सहभागी लोक सेवा वितरण पद्धति, जन केन्द्रीत प्रशासन, ई गवर्नेन्स को प्रोत्साहन, आपदा प्रबंधन एवं लोक व्यवस्था को ठीक करने के लिए संस्तुति किए जाने का दायित्व सौंपे गये हैं। इस आयोग का अध्यक्ष श्री जे0सी0पन्त, अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी को बनाया गया है।

8. भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति–2003 के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने, पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा मैत्रीपूर्ण उद्योग नीति के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य, निवेशकों हेतु एक आकर्षक एवं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं बड़े तथा नव उद्यमियों द्वारा राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना तीव्रगति से की जा रही है। इससे राज्य में निवेश के विभिन्न आँकड़ों एवं प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान तक दो हजार से अधिक इकाईयों में लगभग रु0 बीस हजार करोड़ का पूंजी निवेश तथा लगभग एक लाख पचास हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार सृजन संभावित है। उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास कार्यो, यथा सड़कों का निर्माण, विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना तथा अन्य अवस्थापना विकास सुविधाओं हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

9. मेरी सरकार द्वारा–

- उद्योगों को आधुनिक सुविधायुक्त औद्योगिक आस्थान उपलब्ध कराने हेतु जनपद हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है और 795 एकड़ भूमि 531 औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- पंतनगर में विकसित एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 363 इकाईयों को 779 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
- राज्य में लघु औद्योगिक इकाईयों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत अवसंरचनात्मक केन्द्रों (IIDC) की स्थापना अधिक औद्योगिक सम्भावना वाले क्षेत्रों, यथा देहरादून, हरिद्वार व पंतनगर में की गई है। इन केन्द्रों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा मानकों के अनुरुप पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति देने की दृष्टि से सिगड्डी, कोटद्वार में विकास केन्द्र की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। इस विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई समुचित सहायता के आधार पर स्थापना सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं।
- राज्य सूचना प्रौद्यागिकी के क्षेत्र के विकास हेतु सिडकुल द्वारा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर 60 एकड़ भूमि में आई.टी.पार्क विकसित किया जा रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया का इनक्यूवेशन सेन्टर पहली जून तक संचालित हो जाएगा एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से साईबर टावर भी विकसित किया जाएगा।
- राज्य में अवस्थापना विकास में संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र की सहभागिता के अन्तर्गत ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून में सिडकुल, उद्योग संघों एवं निजी उद्यमियों के सहयोग एवं भागीदारी से 18 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में 650 एकड़ भूमि उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई है।

- राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 7000 से बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है और इस योजना से राज्य में "उत्तरांचल पी.एम.आर.वाई. प्लस–2005 योजना" प्रारम्भ की गई है तथा बैंक को गारण्टी शुल्क के रूप में देय 2.5 प्रतिशत गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति कर अब तक 139 लाभार्थियों को रु0 362 लाख की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है।
- पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है।
- उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन कर राज्य के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपद स्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की रजत जयंती के अवसर पर आई0आई0टी0एफ0–2005 में राज्य द्वारा "पार्टनर स्टेट" के रूप में भाग लिया गया है।
- विभिन्न विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि की वसूली एवं उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है।
- राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु गठित उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् के तत्वाधान में देहरादून में राष्ट्रीय स्तर की विशेष हथकरघा प्रदर्शनी व हस्तशिल्प के क्षेत्र में क्राफ्ट बाजार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।
- खनन क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा, नियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से खनन किये जाने के उद्देश्य से उप खनिज क्षेत्रों को खनन परिहार में स्वीकृत करने हेतु नई खनन नीति बनाई जा रही है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहित करके राज्य में कम पूंजी विनियोजन स्तर पर स्वरोजगार का वातावरण तैयार किया जा रहा है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 547 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- राजकीय मुद्रणालय, रुड़की में आधुनिकतम मशीनें क्रय कर स्थापित की जा चुकी हैं।

10. मेरी सरकार द्वारा 600 कि0मी0 नये मार्गों एवं 81 पुलों का निर्माण तथा 1050 कि0मी0 मार्गों का नवीनीकरण/सुधारीकरण किया गया और राज्य एवं जिला सेक्टर में लगभग रु0 1705 करोड़ की लागत से स्वीकृत 11546 कि0मी0 मार्गों तथा 293 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सेक्टर में भी लगभग रु0 158 करोड़ के 516 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों का निर्माण कार्य गतिमान है एवं राज्य के 60 प्रतिशत गाँव मोटर मार्गों से जोड़ लिए गये हैं। इससे 72 प्रतिशत ग्रामों को सड़क मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नाबार्ड से रुपये 308 करोड़ के मार्गों के निर्माण हेतु रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फन्ड–10 (आर0आई0डी0एफ0–10) के अन्तर्गत वित्त पोषण कराया गया है।

राज्य के 1173 कि0मी0 लेपित तथा 22 कि0मी0 कच्चे मार्ग का रख–रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है, जबकि मेरी सरकार द्वारा 10886 कि0मी0 लेपित, 7421 कि0मी0 कच्चा मार्ग और 3269 कि0मी0 पैदल मार्ग तथा 546 कि0मी0 सीमान्त पथ का रख–रखाव किया जा रहा है।

11. मेरी सरकार द्वारा मार्गों एवं पुलों के निर्माण योजनाओं की अद्यावधिक प्रगति के सघन अनुश्रवण हेतु मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (एम0आई0एस0) का गठन किया जा चुका है और शहरी अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता एवं सौन्दर्यीकरण के लिए विशेष प्रयास करते हुए मेरी सरकार ने चौराहों का नव निर्माण, सूचना पट्ट/पट्टिकाओं, रोड मार्किंग एवं रोड फर्निशिंग का कार्य तथा अवस्थापना सुविधा के लिए फ्लाई ओवर/ओवर हेड/अन्डर पास निर्माण किया जा रहा है।

12. मेरी सरकार का राज्य के दोनों मण्डलों–कुमाऊं तथा गढ़वाल की कनेक्टिविटी के लिए प्रयास जारी है और देश की राजधानी देहली से देहरादून मार्ग को चार लेन तक चौड़ा करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP-III) योजना के अन्तर्गत चयनित किया जा चुका है।

13. राज्य के मुख्य शहरों में यातायात को नियंत्रित किये जाने तथा शहरों पर बढ़ते परिवहन दबाव से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मार्गों का चौड़ीकरण, सांकेतिक पट और फुटपाथ निर्माण की ओर मेरी सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। कई स्थलों पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के संबंध में भी मेरी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

14. उत्तरांचल राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल की तैनाती के साथ ही उप जिलाधिकारियों को प्रवर्तन के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के सहयोग से 05 इण्टरसेप्टर वाहन प्राप्त किये गये हैं, जिनके द्वारा नशे की हालत में वाहनों के संचालन एवं ओवर स्पीडिंग के मामलों में अभियोजन की कार्यवाही की जा सके। साथ ही दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल सहायता की दृष्टि से केन्द्र सरकार के सहयोग से प्राप्त 06 क्रेन एवं 06 एम्बुलेन्सों को जिलाधिकारियों के नियन्त्रण में रखा गया है।

15. मेरी सरकार द्वारा वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के नियन्त्रण में लगभग रुपये 4.00 करोड़ लागत का एक वृहद् चालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत किया गया है। उक्त संस्थान की स्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग की सूचनायें जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग की विस्तृत वैबसाईट लॉच की गई है।

16. मेरी सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड एवं वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया को आगामी वित्तीय वर्ष में लक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त जनता

को सस्ती, आरामदायक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तरांचल परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यवस्था की गई है। निगम के बस बेड़े में अभी तक लगभग 525 नई बसें सम्मिलित की गई हैं, जिनमें हाईटेक एवं वोल्वो बसें भी सम्मिलित की हैं। इसके अतिरिक्त 75 चैसिसों पर बस बॉडी निर्माण गतिमान है। गत वित्तीय वर्ष में परिवहन निगम के संचालन में हुए लगभग 10 करोड़ की हानि की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक लगभग रुपया एक करोड़ का लाभ हुआ है।

17. आई0एस0बी0टी0 देहरादून के नजदीक एम0डी0डी0ए0 द्वारा दी गई 08 एकड़ भूमि पर कार्यशाला स्थापना हेतु मेरी सरकार द्वारा रुपया 4.25 करोड़ का ऋण परिवहन निगम को उपलब्ध कराया गया है। यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए निगम की ओर से वोल्वो बसों में स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था, प्रमुख बस स्टेशनों को यात्री सुविधा की दृष्टिकोण से आदर्श स्टेशन बनाये जाने की योजना पर भी कार्य चल रहा है।

18. राज्य की प्रथम निर्वाचित मेरी सरकार द्वारा प्रारम्भ में ही राज्य में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन सम्भावनाओं के दृष्टिगत 05 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि वर्तमान में लगभग 12578 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित हैं तथा विकास व क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में चिन्हित लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में लगभग 1400 मेगावाट क्षमता की परियोजनाऐं संचालनरत हैं जिसमें मुख्य भुमिका राज्य सरकार के उपक्रम उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 की है। नवम्बर, 2005 में 280 मेगावाट क्षमता की धौलीगंगा परियोजना (जनपद पिथौरागढ़) से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। मई, 2006 में टिहरी–परियोजना (1000 मेगावाट), अगस्त, 2006 में मनेरी भाली–2 परियोजना (304 मेगावाट) व अक्टूबर, 2006 तक विष्णुप्रयाग परियोजना (400 मेगावाट) से भी उत्पादन प्रारम्भ होना सम्भावित है।

19. मेरी सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर, राज्य सेक्टर व निजी सेक्टर, तीनों का सहयोग लेना प्रारम्भ किया है ताकि सभी चिन्हित परियोजनाओं का विकास/क्रियान्वयन शीघ्र एवं त्वरित गति से हो सके। वर्तमान में 4310 मेगावाट क्षमता की परियोजनाऐं केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यथा THDC, NHPC, NTPC, NTPC (Hydro) व SJVNL को आवंटित हैं जबकि 2197 मेगावाट क्षमता की परियोजनाऐं राज्य सेक्टर में राज्य सरकार के उपक्रम, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को आवंटित हैं। निजी क्षेत्र में 2016 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित हैं जिनमें 1062 मेगावाट क्षमता की 15 परियोजनाएं पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति से मेरी सरकार की घोषित नीति के अधीन आवंटित की गयी हैं।

20. मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री की 50 हजार मेगावाट जल विद्युत रणनीति के अधीन राज्य में चिन्हित परियोजनाओं की प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट के उपरान्त परियोजनाएं

विकास एवं तदोपरान्त क्रियान्वयन हेत आवंटित की जा चुकी हैं तथा मेरी सरकार राज्य में सम्भावित एवं चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्ण प्रयास कर रही है, जिससे राज्य में विद्युत की मांग पूर्ण की जा सके और साथ ही सरप्लस विद्युत को बाहर विक्रय कर राजस्व प्राप्ति सहित राज्य के विकास व रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके।

21. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत स्थित राष्ट्रीय महत्व की टिहरी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य भी प्रतिपादित पुनर्वास नीति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप भारत सरकार के पर्यवेक्षण में प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप टिहरी बांध परियोजना की अन्तिम सुरंग टी–2 को बन्द किया जाना संभव हो सका है और निकट भविष्य में परियोजना से होने वाले विद्युत उत्पादन का लाभ 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली के रूप में राज्य को प्राप्त हो सकेगा।

22. मेरी सरकार वर्ष 2007 तक समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण तथा वर्ष 2009 तक प्रत्येक परिवार तक विद्युत पहुँच के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अब तक 92 प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सभी जनपदों के अवशेष गाँवों व पूर्व में विद्युतीकृत परन्तु अब विद्युत आपूर्ति बाधित गाँवों के विद्युतीकरण हेतु लगभग रु0 658.79 करोड़ लागत की योजनाएं बनाकर भारत सरकार की नोडल एजेन्सी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अब तक चार जनपदों हेतु रु0 220.59 करोड़ लागत की योजनाऐं स्वीकृत हो चुकी हैं जबकि शेष योजनाओं की भी स्वीकृति प्राप्ति शीघ्र सम्भावित है। इन सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य टर्न–की आधार पर करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत 787 नये गाँव, 682 पुराने विद्युत बाधित गाँव, 2039 तोकों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जबकि कुल 2,81,615 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। दूरस्थ स्थित ऐसे गाँव, जहाँ ग्रिड से विद्युतीकरण फिलहाल सम्भव नहीं है वहाँ माइक्रोहाइडल तकनीक से ही ग्रामीण विद्युतीकरण को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस हेतु मेरी सरकार ने अब नई पहल करते हुए नौ माइक्रोहाइडल परियोजनाओं के निर्माण से ही स्थानीय जनता की ऊर्जा समिति के माध्यम से सहभागिता द्वारा स्थापित व संचालित करने का निर्णय लिया है। इस पहल से ग्रामीण जनता अपने संसाधनों का स्वयं के उपयोग व स्थानीय विकास हेतु उपभोग करने में सक्षम भी हो सकेगी।

23. मेरी सरकार राज्य में स्वसक्षम पारेषण ग्रिड के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण सहित पारेषण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रिड पर निर्भरता समाप्त करने व नई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी हेतु यथोचित व समेकित विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण/व्यवस्था हेतु प्रयासरत है। इस प्रयास हेतु रु0 225.93 करोड़ की नाबार्ड से वित्त पोषित परियोजनाओं एवं रु0 165.76 करोड़ लागत की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वित्त पोषित योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

24. विद्युत वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण सहित विद्युत हानियां कम कर कुशल वितरण व्यवस्था स्थापित करने हेतु केन्द्रीय वित्त पोषण के अधीन त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0पी0डी0आर0पी0) योजना को मेरी सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित कर रही है, जो अन्तिम चरण में है।

25. उत्पादन, पारेषण व वितरण टैरिफ निर्धारण हेतु उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। राज्य में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्य हेतु तीन पृथक संस्थाएं भी गठित व कार्यरत हैं।

26. पुराने विद्युत गृहों का जीवन बढ़ाने व उनसे विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मेरी सरकार प्रयासरत है। इस हेतु के0एफ0डब्लू एवं कैनेडियन क्राउन कॉरपोरेशन आदि संस्थाओं से वित्तीय प्रबन्ध एवं तकनीकी सहयोग के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। दोनों व्यवस्थाओं के अधीन वित्तीय प्रबन्ध भारत सरकार के उपक्रम पी0एफ0सी0 के माध्यम से प्राप्त होगा।

27. मेरी सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं के आपसी तालमेल से (डबटेलिंग) ग्रामीण विद्यालयों में सोलर पावर जनरेटर एवं सोलर कुकर के माध्यम से विद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, मिड डे मील योजनाओं में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयेाग हेतु कार्य कर रही है। साथ ही छात्र–छात्राओं का वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए सोलर एजूकेशन किट भी विद्यालयों में उपलब्ध करा रही है।

28. मेरी सरकार द्वारा घराटों के सुधारीकरण हेतु भी योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ADB) से वित्तीय सहायता के अधीन मॉडल घराट स्थापना, घराटों का सर्वेक्षण व सूचीकरण, घराट स्वामियों को प्रशिक्षण व घराट संगठन बनाये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

29. सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत तीन वर्षों में मेरी सरकार द्वारा 268 असेवित एवं 806 आंशिक सेवित कुल 1074 बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराते हुए कुल 113313 जनसंख्या को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2005–06 में 450 बस्तियों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 434 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पेयजल सुविधा के विकल्प के रूप में हैण्डपंपों के अधिष्ठापन के फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में 3002 हैण्डपंपों को अधिष्ठापित किया गया है। इस वर्ष अब तक 1364 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

30. ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों जहाँ गुरुत्व स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, वहां मेरी सरकार द्वारा वृहद् पंपिंग योजनायें, जिनमें काफी लागत आने की सम्भावना है, स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। इस क्रम में गत तीन वर्षों में 13 पंपिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा चुका है एवं 12 नई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।

31. मेरी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में योजनाओं के स्थायित्व, पेयजल की स्वच्छता व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही जल स्रोतों के परम्परागत संवर्धन हेतु इस वर्ष 261 तथा अब तक कुल 620 चाल/खालों का पुनर्जीवीकरण सुनिश्चित किया गया है और 583 स्रोतों पर उत्तरांचल कूप की स्थापना की गयी है।

32. मेरी सरकार संविधान की मंशानुरूप नगरीय निकायों में निम्न व्यवस्थाएं उपबंधित करने के लिए दृढ संकल्पित है–

- इस वर्ष से समस्त नगर निकायों में अवस्थापना सुविधा के लिए प्रथम बार बहुत बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2005–06 में समस्त नगर निकायों से प्रस्ताव मांगे गये और उनकी आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए लगभग रु0 100.00 करोड़ स्वीकृत किये गये।
- भारत सरकार ने उत्तरांचल के तीन नगरों को नेशलन अरबन रिनूवल मिशन में शामिल किया है जो देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार हैं। पूरे भारतवर्ष में 63 नगरों का चयन हुआ है और तीन उत्तरांचल में ही स्थित हैं।
- 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सड़कों नालियों के निर्माण एवं सामुदायिक सम्पत्ति के सृजन हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान किया गया है।
- समस्त नगरीय क्षेत्रों के अवस्थापना विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा रही है जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग रु0 800.00 करोड़ की सहायता ली जा रही है। परियोजना बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा शहरी विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नगरीय क्षेत्रों में ई–गवर्नेन्स प्रारम्भ किया जा चुका है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज प्रदेश के समस्त नगर निकाय कम्प्यूटरीकृत किये जा चुके हैं और समस्त अधिशासी अधिकारियों को और अधिकांश नगर निकायों के अध्यक्षों को इस विषय में आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

33. छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों के समेकित विकास हेतु भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रमशः नगरपालिका परिषद् हल्द्वानी, नगर निगम देहरादून, नगरपालिका परिषद् कोटद्वार, पिथौरागढ, श्रीनगर, उत्तरकाशी, जसपुर, बागेश्वर तथा जोशीमठ में संचालित की जा रही है। अगले वर्ष से U.I.D.S.M.T योजना भारत सरकार द्वारा इन्हीं प्रकार के छोटे नगरों के लिए घोषित की गयी है जिससे अन्य नगर निकायों को लाभान्वित किया जायेगा।

34. ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के नियमों को उत्तरांचल की समस्त स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जा रहा है। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए समस्त नगर निकायों में मोहल्ला स्वच्छता समिति बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और कई नगर निकायों में तो यह कार्य सम्पन्न भी हो चुका है। प्रत्येक 150–200 घरों पर एक मोहल्ला स्वच्छता समिति बनाई जा रही है, जिसके लिए शासन से रु0 1500.00 दिये जायेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैविक तथा अजैविक कूड़ा घरों में ही अलग–अलग कर दिया जाय ताकि पर्यावरण पर कूड़े का कुप्रभाव न पड़े।

35. समस्त नगरों को जियोग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम का आधार बनाया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से नगर के सेटेलाइट मानचित्र भूमि पर सत्यापित किये जा चुके हैं। अब इसे आधार बनाते हुए प्रत्येक नगर की महायोजना भी बनाई जायेगी, जिसे वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की मदद से बनाया जायेगा। इस क्रम में समस्त स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्वकर निर्धारण प्रणाली पर अब कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा आशा है कि वित्तीय वर्ष में यह योजना लागू कर दी जायेगी।

36. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन शहरी गरीबों को बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पन्द्रह वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक कमरा व शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना मुख्यतः हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व देहरादून के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत अब तक 549 आवास बनाये जा चुके हैं जो समाज के गरीब तबके के लिए हैं। अब इसे भारत सरकार द्वारा I.S.H.D.P. (Integrated Housing and Sanitation Development Programme) के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया जिसके क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है।

37. शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के माध्यम से पचास हजार रुपये तक का ऋण, लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर सीधे उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना पहले सूडा द्वारा संचालित थी, लेकिन अब इसे नगर निकायों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि ही स्थानीय लोगों का चयन कर उन्हें अपने नगर की आवश्यकतानुसार रोजगार दिलायें।

38. नगर निगम देहरादून में 2000 आवासों के लिये ब्रह्मा खाला क्षेत्र में लगभग 3.5 हेक्टेयर निःशुल्क भूमि की व्यवस्था सूडा द्वारा करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त देहरादून नगर में 100 निःशुल्क मॉडल डिमोंस्ट्रेशन आवास की स्वीकृति भारत सरकार से करायी गयी है, इन आवासों में कुष्ठ रोगियों को बसाया जाना प्रस्तावित है।

39. मेरी सरकार निम्नलिखित योजनाओं पर भी कार्य कर रही है–

- मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों, नालियों, पार्कों, एवं विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित किया जाना।
- जनपद नैनीताल में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नैनीताल झील संरक्षण एवं जनपद की अन्य झीलों के संरक्षण की परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जा रहे हैं। झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल कैचमेंट एरिया के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य हाइड्रोलिक कार्य, बलियानाला सुदृढ़ीकरण के कार्य, झील में एयरेशन कार्य, डेल्टा सफाई कार्य, बायोमैनिपुलेशन कार्य, कैचमेंट संरक्षण कार्य, रोप–वे में संरक्षण कार्य, वाटर क्वालिटी सुधारण कार्य, बाईपास रोड का निर्माण पूर्ण कराये जाने हैं।
- नैनीताल झील विकास प्राधिकरण द्वारा खुर्पाताल स्थित योजना में आवंटित भूखण्डों के अतिरिक्त अवशेष रिक्त भूमि पर आवास, पार्क, पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- जनपद देहरादून, हल्द्वानी काठगोदाम एवं रुद्रपुर महायोजना को लागू करने का कार्य अन्तिम चरण में है तथा वित्तीय वर्ष 2006–2007 में हरिद्वार, पौड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर की महायोजना प्रारूप तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन कार्यक्रम के अधीन देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल को भारत सरकार द्वारा चुना गया है। इससे इन शहरों का चहुँमुखी विकास किया जाना सम्भव हो सकेगा।
- राज्य की 31 नगरपालिका, 31 नगर पंचायत तथा एक नगर निगम को अवस्थापना के लिए अतिरिक्त मदद दी गई है।

40. राज्य में पधारने वाले अति–विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों को मेरी सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के अन्तर्गत आतिथ्य प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून में मंत्रीगणों, विधायकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवासों की समुचित व्यवस्था के लिए यमुना कालोनी, ट्रान्जिट हॉस्टल, राजपुर रोड स्थित अधिकारी आवासों का निर्माण तथा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण से आवासों को क्रय किया गया है। सचिवालय कर्मियों हेतु केदारपुरम् में 102 भवन की आवासीय कालोनी का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा राजकीय कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण कराये जाने हेतु कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है, तथा–

- मुम्बई एवं लखनऊ में जनप्रतिनिधियों के ठहरने, राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केन्द्रों के लिए कार्यालय भवन स्थापित करने, राज्य के सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं पर्यटन की गतिविधियों के विस्तार एवं इम्पोरियम के निर्माण हेतु भूमि का क्रय कर लिया गया है तथा लखनऊ में उत्तरांचल भवन के निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

- मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा मोहन इस्टेट भवन के क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- देहरादून में बीजापुर गेस्ट हाउस में तथा डाम कोठी–2 हरिद्वार में भी अतिरिक्त अतिथि गृह बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- नई दिल्ली में नये उत्तरांचल का निर्माण किये जाने हेतु भारत सरकार से भूखण्ड आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार के आदेश एल–II-12(170)/2006/191, दिनांक 16 मार्च, 2006 द्वारा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 806.9 वर्गमीटर भूखण्ड का आवंटन कर दिया गया है। भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने पर नई दिल्ली में नये उत्तरांचल निवास का निर्माण कराया जायेगा।

41. विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तरांचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित रूप से विकास कर आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु पर्यटन को उत्तरांचल का पर्याय बनाने की भावना को लेकर उत्तरांचल की पर्यटन नीति घोषित की गई है।

42. उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में तैयार कराए गये मास्टर प्लानों तथा अध्ययनों को कार्य रूप में परिणित करने की दिशा में भारत सरकार से नैनीताल–अल्मोड़ा–रानीखेत सर्किट के पर्यटन विकास हेतु रु0 697.51 लाख, विन्टर स्पोर्ट्स उपकरणों के लिए रु0 107.52 लाख, पर्यटन ग्रामों के विकास हेतु रु0 188.79 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार पर्यटन विभाग को पर्यटन विकास योजना के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता में आशातीत वृद्धि हो रही है। श्री केदारनाथ एवं श्री गंगोत्री के लिए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट योजना के तहत क्रमशः रु0 3.62 करोड़ एवं रु0 3.85 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और गोविन्दघाट, हेमकुण्ड साहिब, फूलों की घाटी परिव्यय के लिए रु0 5.22 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त पांच ग्रामों के पर्यटन विकास हेतु कुल रु0 1.73 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

43. मेरी सरकार द्वारा पर्यटन के महत्व को देखते हुए एक मुश्त प्लान परिव्यय एवं एक मुश्त बजट प्राविधान करते हुए राज्य सेक्टर में उच्च स्तर की जन सुविधायें, साइनेज, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार एवं आवासीय सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

44. उत्तरांचल में पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए लगभग 623 उद्यमियों को बैंकों द्वारा वित्त पोषण करने के पश्चात् राज सहायता

अवमुक्त की गई है। इस योजना को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से राज्य सहायता को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है तथा अधिकतम राशि रु0 2.00 लाख से बढ़ाकर रु0 3.75 लाख भी कर दी गई है।

45. भारत सरकार की वित्तीय सहायता से उत्तरांचल में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा/सहायता सुलभ करने के उद्देश्य से उत्तरांचल में कार्यरत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सेवादाताओं को 'कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स' (CBSP) कार्यक्रम के अन्तर्गत 484 सेवा दाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा देश-विदेश से आये पर्यटकों को उनके भ्रमण सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सुविधा/पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इन इकाईयों को स्थानीय बेरोजगार उद्यमियों को संचालनार्थ उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

46. उत्तरांचल में पर्यटन विकास की दृष्टि से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की दिशा में पर्याप्त प्रयास मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उत्तरांचल के यात्रा मार्गों एवं पर्यटन मार्गों पर आवासीय सुविधा, परिवहन सुविधा, पेयजल, विद्युतीकरण, चिकित्सा, प्रसाधन आदि सुविधाओं का सृजन किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

47. उत्तरांचल के विश्व प्रसिद्ध चारों धामों में यात्रियों की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा/संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि सुविधायुक्त मोबाइल वैन्स का संचालन किया जा रहा है। उत्तरांचल के नैसर्गिक पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प, कला एवं संस्कृति आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न विज्ञापनों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों तथा प्रचार साहित्य आदि के माध्यम से कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सेमीनार/कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ATM दुबई, PATA WORLD TRAVEL MART लंदन एवं ITB बर्लिन में भी उत्तरांचल पर्यटन द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के स्तर पर मीडिया प्लान तैयार किया गया है, जिससे पर्यटन प्रचार-प्रसार में गतिशीलता आ रही है।

48. मेरी सरकार द्वारा अल्प आयु वर्ग के पर्यटकों/यात्रियों के लिए निर्मित 1320 शैय्याओं की 27 आवासीय सुविधाओं को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगार युवक, युवतियों के माध्यम से संचालित कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करवाया जा रहा है।

49. मेरी सरकार ने पर्यटन उद्योग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जौलीग्रांट एवं पन्तनगर हवाई अड्डों के विस्तारीकरण की योजना के साथ-साथ नैनी-सैनी पिथौरागढ़ हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की कार्य योजना को स्वीकृत कर दिया है और गौचर हवाई पट्टी को क्रियाशील किया जा रहा है। पवन हंस हैलीकाप्टर्स लिमिटेड को हैंगर के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। पर्यटकों की तादाद को बढ़ाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक-एक हैलिपैड बनाए जाने के

साथ–साथ विभिन्न एयर ऑपरेटर्स से समन्वय कर दिल्ली–पन्तनगर–दिल्ली तथा दिल्ली–देहरादून–दिल्ली की नियमित विमान सेवा परिचालित करायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा अन्य एअर ऑपरेटर्स के माध्यम से यात्रा सीजन में पर्यटकों की सुविधा हेतु श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ के लिये हैलीकॉप्टर सेवा भी संचालित की जा रही है। आगामी वर्षों में इन सेवाओं में और सुधार लाया जाएगा।

50. मेरी सरकार द्वारा कलक्ट्रेट स्तर पर भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा हस्तलिखित खतौनियों के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत खतौनियाँ किसानों को उपलब्ध कराई जाने लगी हैं।

51. ग्रामीण क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था के लिये 6287 ग्राम प्रहरियों की तैनाती पटवारियों के अतिरिक्त की गई है। इसके अतिरिक्त सभी पटवारी चौकियों की निर्माण की दिशा में कार्यवाही करते हुए अब मात्र 29 पटवारी चौकियों का निर्माण कार्य अवशेष है।

52. मेरी सरकार ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत 29 तहसीलों एवं 6 उप तहसीलों की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न श्रेणी के कुल 452 पदों का सृजन किया है।

53. जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में कलक्ट्रेट के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कलक्ट्रेट टिहरी का निर्माण कार्य गतिमान है तथा जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत के कलेक्ट्रेट के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

54. मेरी सरकार द्वारा आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है। आपदा प्रबन्धन के लिए सूचनाओं/आकड़ों का संकलन, आपदा का त्वरित प्रबंधन तथा नियंत्रण के दृष्टिगत जनपदों में आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र सचिवालय परिसर में निर्मित किया जा चुका है, साथ ही निजी एवं सरकारी क्षेत्र के अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और आम जनता को भी आपदा से बचाने के लिए पूर्ण तैयारी हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

55. मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास संघ (यू0एन0डी0पी0) के सहयोग से सामुदायिक जागरुकता अभियान की एक वृहद योजना उत्तरांचल के 8 जनपदों (नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून तथा उत्तरकाशी) में लागू की है। आपदा के समय खोज एवं बचाव कार्य के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जनपदों से ग्राम स्तरीय आपदा अंतराक्षेपण दलों व विभागीय कर्मचारियों को अब तक 18 प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से कुल 495 सदस्यों को 20 दिवसीय

खोज एवं बचाव विषयक प्रशिक्षण मसूरी स्थित हिमालयन एडवेन्चर इंस्टिट्यूट्स (Himalayan Adventure Institute) व नैनीताल स्थित नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के माध्यम से दिया गया है।

56. भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को राज्य में प्रवृत्त करने के लिए मेरी सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई संपादित करते हुए राज्य सूचना आयोग का गठन कर लिया है। इससे जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने में सहयोग प्राप्त होगा। सरकार एवं जनता के मध्य लोक सम्पर्क बनाये रखना लोकप्रिय सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है और इसी क्रम में मेरी सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सूचना आम जनता को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से विभिन्न संचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बेहतर सहयोग प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

57. विकास योजनाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूरदर्शन (डी0डी0–1) पर प्रत्येक शनिवार को 'उत्तरांचल दर्शन' न्यूज मैग्जीन प्रसारित की जा रही है।

58. राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकार और उसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को पहुँचाने की क्षमता को देखते हुये इसको जी0डी0पी0 के Long-Term Driver के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरी सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास, ई0–गवर्नेन्स तथा आई0टी0 अवस्थापना व उद्योग के क्रम में किये जा रहे कार्यों को तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है।

59. आरोही परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 1420 हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों एवं 09 डायट में कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। Intel एवं Microsoft के सहयोग से राज्य के लगभग बीस हजार अध्यापकों को मास्टर ट्रेनर (MT) एवं मास्टर ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीचर्स (MTPT) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जिससे लगभग 1,50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

60. आई0टी0 क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य के महाविद्यालयों में आई0टी0 क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शिखर कार्यक्रम संचालित हैं जिनमें मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (MCA) समतुल्य कोर्स का अध्यापन किया जा रहा है। इनमें दस हजार से भी अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेट वर्किंग क्षेत्र में भी रोजगार की सम्भावनाओं के अधीन सिस्को (CISCO) के साथ नेट वर्किंग अकादमी की स्थापना करते हुए सिस्को सर्टिफाइड नेट वर्किंग ऐसोशिएट (CCNA) कोर्स चलाये जाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इन समझौतों के अन्तर्गत आठ अकादमियाँ स्थापित की जा चुकी हैं और सैकड़ों छात्र इनसे लाभान्वित हो रहे हैं।

61. हर्मिटेज बिल्डिंग (Hermitage Building) नैनीताल को कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर उसमें सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (Centre of Excellence) स्थापित किये जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गई है। इस के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य इन्टेक (INTACH) को सौंपा गया है। इसमें विभिन्न आई0टी0 अकादमियों अर्थात्–माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी ऑफ एक्सेलेन्स (Microsoft Academy of Excellence), आई0बी0एम0 सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स (IBM Centre of Excellence), सिस्को लोकल एकेडमी (Cisco Local Academy) तथा ओरेकल एकेडमी (Oracle Academy) को संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

62. ऑपरेशन "सक्षम" नामक योजनान्तर्गत राज्य के श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के लगभग 55 हजार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को उनके विकल्प के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

63. मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वित्त पोषित प्रो–पुअर आई0टी0 इनिशियेटिव प्रोजेक्ट (Pro-Poor IT Initiatives Project) का क्रियान्वयन आई0आई0टी0 रुड़की के माध्यम से कराया गया है तथा BPR के साथ–साथ जनमानस की IT Enabled आवश्यकताओं के अभिज्ञान हेतु पार्टिसिपेटिंग रूरल एपरेज़ल्स (PRAs) कराये गये हैं। Pilot Project के अन्तर्गत 40 सूचना–कुटीरों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी है। इन सूचना–कुटीरों से ग्रामवासी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। उत्तरा पोर्टल विकसित होकर परीक्षण चरण में है और इस वित्तीय वर्ष में उसे पूर्ण रूप से संचालित करा दिया जाएगा।

64. सर्वे ऑफ इण्डिया के माध्यम से डिजिटल बेस मैप एवं सेटेलाईट इमेजरीज को प्राप्त करने हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वित की गई है। इन बेस मैप पर विभिन्न सुविधाओं की Layering नगर विकास विभाग के माध्यम से प्रोजेक्ट Development and Deployment of GIS Application करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा –

- प्रथम चरण में देहरादून में परिवहन लाइसेंसों एवं वाहन पंजीकरण का कार्य एन0आई0सी0 के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कराया जा रहा है।
- एन0आई0सी0 की सहायता से भूमि रजिस्ट्री के कार्य को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।
- तहसील स्तर तक भूमि रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

65. विश्व बैंक की सहायता से राज्य सरकार ने ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में व्यापक पहल की है, जिसमें वर्ष के अंत तक कान्टेन्ट कलेक्शन फॉर बद्री केदार/गंगोत्री, यमनोत्री/हेमकुन्ड साहिब डेस्टीनेशन, समाज कल्याण विभाग हेतु सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का विकास एवं कार्यान्वयन शहरी विकास हेतु सॉफ्टवेयर

अनुप्रयोग का विकास एवं कार्यान्वयन, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के पोर्टल हेतु सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का विकास एवं कार्यान्वयन, कृषि पोर्टल का विकास एवं कार्यान्वयन, लोक निर्माण विभाग हेतु प्रयोजना प्रबंधन अनुप्रयोग एवं सूचना प्रणाली का विकास एवं नियोजन, कक्षा 9 से 12 तक के लिए विज्ञान और गणित में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बद्ध पाठ्यक्रम का विकास, ई–गवर्नेन्स के परियोजना प्रबंधन के प्रोत्साहन हेतु परियोजना प्रबंधक दल का चयन, उत्तरांचल शासन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग का विकास एवं नियोजन तथा केन्द्रीय डाटा वाल्ट, बहुउद्देशीय नागरिक डाटा बेस और प्रमुख सार्वजनिक अधिष्ठान का विकास और कार्यान्वयन किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम के अधीन डाटा सेन्टर व स्वान की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

66. प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग हेतु राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत अन्तरिक्ष उपयोग देहरादून केन्द्र की स्थापना मेरी सरकार द्वारा की गई है।

67. धन के निवेश और रोजगार की दिशा में ठोस पहल करते हुए मेरी सरकार ने पन्तनगर में प्रथम चरण में पांच सौ एकड भूमि पर आई0टी0बी0टी0 पार्क की स्थापना की जा रही है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को हाल में ही सक्रिय भी किया है। इसके अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान लोकव्यापीकरण के दृष्टिकोण से 20 विज्ञान प्रसार केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिषद् के नोड्ल्स के रूप में कार्य कर रहे हैं।

68. मेरी सरकार ने प्रथम उत्तरांचल राज्य विज्ञान कांग्रेस के आयोजन का प्रस्ताव किया है जिस हेतु लगभग 200 शोध–पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इन शोध–पत्रों में से उत्कृष्ट शोध प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

69. मेरी सरकार मौसम विभाग, भारत सरकार को नैनीताल एवं ऋषिकेश में दो डीजिटल सिसेमिक इन्स्ट्रूमेंट (Digital Seismic Instrument) एवं वी–सेट स्थापित करने में सहयोग कर रही है। घुत्तू (टिहरी गढ़वाल) में भी इस प्रकार की सुविधा वाडिया हिमालयन भू–विज्ञान संस्थान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है।

70. मेरी सरकार ने भारत सरकार को इसरो (ISRO) द्वारा प्रायोजित एडूसेट नेटवर्क (EDUSAT network) स्वीकृति हेतु भेजा है, जिससे प्रदेश के लोग उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से सीधा वार्तालाप कर सकेंगे तथा मेरी सरकार ने राज्य में उत्तरांचल साइंस फोरम का भी गठन किया है, जिससे उत्तरांचल स्थित प्रतिष्ठावान वैज्ञानिकों की सेवा राज्य हित में ली जा सकेगी।

71. मेरी सरकार उत्तरांचल में साइंस सिटी एवं तारामण्डल की स्थापना हेतु प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा स्थापित रूटैग की गतिविधियों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बद्ध किया गया है एवं कई प्रौद्योगिकियों को राज्य के विकास हेतु चिन्हीकृत किया गया है। मेरी सरकार ने नौगाँव (उत्तरकाशी) में एक प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र को स्वीकृत किया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, दूसरा प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र खोलने हेतु कार्य प्रगति पर है।

72. राज्य के सर्वांगीण विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है। अतएव मेरी सरकार ने–

- समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करने के दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नियोजन विभाग के स्थान पर समाज कल्याण विभाग को दी है। वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए एस0सी0पी0 के अंतर्गत 306.64 करोड़ तथा टी0एस0पी0 के अंतर्गत 83.20 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति की दरें कक्षा एक से दस तक दुगनी कर दी गई हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान करने हेतु विगत वर्षों से देहरादून तथा अल्मोड़ा में एक–एक केन्द्र प्रारम्भ किया गया है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 20 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 409 एवं अनुसूचित जनजाति के 174 छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 21 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में अध्यनरत 2769 विद्यार्थियों को शिक्षा, आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधायें निःशुल्क प्रदान की गयी हैं।
- जनपद देहरादून में विकास खण्ड कालसी एवं चकराता में दो एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालयों की स्थापना की गई है।
- आश्रम पद्धति विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गयी है।

- प्रदेश सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। प्रदेश में पहली बार एकलव्य विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु जनजाति निदेशालय की स्थापना की गई है।
- शक्ति फार्म तथा दिनेशपुर क्षेत्र ऊधमसिंह नगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों के बच्चों हेतु निधि की स्थापना की गई है।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "राय सिख" समुदाय के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु सन्त केशर सिंह की स्मृति में एक निधि की स्थापना की गई है।
- अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पृथक से गठन किया गया है तथा उत्तरांचल में निवासरत ऐसी जातियों व समुदायों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के मानकों को पूरा करते हैं।
- हमारे अल्पसंख्यक भाईयों एवं बहिनों की ओर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु पृथक से अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की स्थापना की है। राज्य में मुस्लिम एजूकेशन मिशन की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाये हैं।
- विकलांगजनों के कल्याण के लिए एक पृथक विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर समग्र रूप से कार्यवाही की जा सके। समाज के इस वर्ग के लिए भारत सरकार की सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किये जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाएं चलाई गयी हैं।
- विकलांग बेरोजगार नवयुवकों हेतु विशेष सेवायोजन कार्यालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही की गयी है।
- प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों में निःशक्तजनों को संविधान प्रदत्त तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु पदों का चिन्हीकरण कर सभी विभागों में चिन्हित पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति के हस्तकला तथा हस्तशिल्प को विकसित करने के लिए शिल्पी ग्राम योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें शिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए कारगर विपणन व्यवस्था, प्रशिक्षण देकर दक्षता वृद्धि आदि किया जाना है। ग्रामीण शिल्पों के विक्रय हेतु हल्द्वानी में शिल्पी हाट निर्माणाधीन है।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीबी उन्मूलन हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना शुरु की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि, ऋण एवं आर्थिक दशा में सुधार के

लिए अवस्थापना तथा सहायक सेवाओं के विकास के कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से अवसर प्रदान किया गया है।

- अल्पसंख्यक, विकलांगजन एवं पिछड़ा वर्ग हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी है।
- उत्तरांचल के भूतपूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों तथा युद्ध शहीदों के आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं एवं प्रदत्त सुविधाओं का लाभ दिये जाने के लिए पूर्व सैनिकों की बाहुल्यता को ध्यान में रखते हुए एक निदेशालय तथा जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापित किये गये हैं।
- गत वर्ष में 651 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सेवायोजित किया गया है तथा चौंतीस पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु रुपये 7.79 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
- भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून व अल्मोडा में संचालित हैं।
- युद्ध विधवाओं एवं आश्रित पुत्रियों के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी में सिलाई, बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- मेरी सरकार ने पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों के कल्याण हेतु गत वर्ष में एक नई योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों/सैनिक आश्रितों को कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक योजना के अन्तर्गत अभिमुखीकरण, कोचिंग तथा व्यवसायिक(कम्प्यूटर) प्रशिक्षण दिया गया है।
- मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के जीविकोपार्जन हेतु अप्रैल, 2005 से इनको दिये जाने वाले अनुदान को रुपये 500 से बढ़ाकर रुपये 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे लगभग 4110 पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवायें लाभान्वित होंगी।
- पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत बारह पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को अभी तक विभिन्न स्रोतों से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कराई गयी है तथा 72 सैनिक विधवाओं की पुत्रियों को शादी हेतु विभिन्न स्रोतों से रुपये 7.20 लाख की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी है।
- राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु 1.23 एकड भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है और वर्तमान में प्रदेश में पूर्व सैनिकों/आश्रितों हेतु 23 सैनिक विश्राम गृह निर्मित हैं।

73. मेरी सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पदों का चिन्हीकरण कर निःशक्त व्यक्तियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की है और प्रदेश के सभी विभागों/जनपदों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया है।

74. मेरी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिये आई0सी0डी0एस0 की योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की गई है और उनका मनोबल बढ़ाने एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के उदेद्श्य से गौरा देवी पुरस्कार की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने वर्ष 2006–07 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" घोषित किया है एवं राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

75. आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं के प्रतिपादन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उदिशा परियोजना संचालित की गई है। मार्च, 2006 तक के लिये भारत सरकार द्वारा उदिशा परियोजना की अवधि बढ़ायी गयी है। उदिशा परियोजना के अभिनव गतिविधि घटक के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिम्मेदार अभिभावक कैम्प, स्वस्थ बेबी शो तथा पंचायत राज के प्रतिनिधियों हेतु संवेदनीकरण कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। जनजाति समाज में नवजात शिशु तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल विषय पर शोध कार्य भी गतिमान हैं।

76. आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हितार्थ गत वर्ष में मेरी सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये थे। इसके अन्तर्गत पुरस्कारों की स्थापना आंगनबाड़ी कार्यकर्ति पुरस्कार के रूप में करते हुए बाईस कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया गया है।

77. समन्वित बाल विकास सेवा में अन्तर्विभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्राथमिक शिक्षा से समन्वय बनाते हुये कुल 1808 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय की कड़ी को मजबूत बनाते हुये विटामिन–ए मॉप–अप का आयोजन कर विटामिन–ए की कवरेज बढ़ाई गई है, साथ ही सूक्ष्मपोषकतत्व कुपोषण से बचाव हेतु रणनीति प्रकाशित की गई है।

78. अनुपूरक पोषाहार घटक के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति व्यवस्था की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। समस्त 99 बाल विकास परियोजनाओं में पोषण सामग्री पकाकर लाभार्थियों को वितरित किये जाने के उद्देश्य से कुक्ड फूड परियोजना लागू की गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से मंडुवा आधारित अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति पायलेट के तौर पर करायी गई है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा उत्तरांचल में संचालित

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों को एनीमिया (रक्त की कमी) से बचाने हेतु आयरन एवं आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है।

79. आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर तीन किशोरियों को अनुपूरक पोषाहार भी प्रदान किया जा रहा है। कुल पन्द्रह विकासखण्डों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से तथा शेष बाल विकास परियोजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजनायें संचालित की गई हैं।

80. महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप में कार्यरत है। इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत महिलाओं के कार्यबोझ कम करने हेतु 25 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा सशक्तिकरण के सिद्धान्त पर आधारित स्वशक्ति एवं स्वयंसिद्धा परियोजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं की क्षमता निर्माण की विभिन्न गतिविधियां पूर्व की भांति संचालित की गयी हैं। गत वर्ष स्वशक्ति परियोजना पूर्ण की गई, जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं टिहरी गढ़वाल के चौदह विकास खण्डों के अन्तर्गत 398 ग्रामों में 7500 महिलाओं को सम्मिलित कर 560 स्वयंसहायता समूहों का निर्माण किया गया। स्वयंसिद्धा परियोजना जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर के ग्यारह विकास खण्डों के 573 ग्रामों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 1100 समूहों में 18369 महिला सदस्य हैं। प्रत्येक समूह की ग्रेडिंग की गयी है, जिसमें "ए" ग्रेड समूह को रुपये 750 प्रति की दर से पुरस्कार के रूप में रु0 3,27,750.00 प्रदान किये गये हैं। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला कर्मियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई तथा उचित कार्यवाही की संस्तुति के लिये राज्य एवं जनपद स्तरीय शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है।

81. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस जन शक्ति में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर दी गई है तथा पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पुलिस बल को साधन सम्पन्न किया गया है, जिससे हमारी पुलिस की क्षमता में सुधार हुआ है।

82. मेरी सरकार ने महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस पहल करते हुए महिला हैल्प लाइन तथा महिला डैस्कों की स्थापना की है और दो पी0ए0सी0 वाहिनियों में एक–एक महिला कम्पनियों का गठन किया है। मेरी सरकार कृत संकल्प है कि राज्य की पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक सम्मानजनक स्तर पर पहुँच जाये।

83. सुरक्षा को मजबूत करने के साथ–साथ मेरी सरकार अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को चाक–चौबंद करने के लिए मेरी सरकार ने इन्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन किया है और शीघ्र ही इस वाहिनी से पुलिस की कमी को दूर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

84. राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं जेल सुधार से सम्बन्धित केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गए निर्देशों के अनुरूप प्रदेश की जेलों में व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने की दिशा में भी मेरी सरकार सराहनीय कार्य कर रही है।

85. मेरी सरकार ने पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा का अवसर दिया है।

86. मेरी सरकार द्वारा जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय रु0 9000 से अधिक है, उन्हें ए0पी0एल0 योजनान्तर्गत पीले रंग का राशन कार्ड निर्गत कर उनमें प्रत्येक परिवार के लिए गेहूँ रु0 6.60 प्रति किलो तथा चावल रु0 8.80 प्रति किलो उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत राज्य में ए0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या 1716770 है।

87. बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय रु0 9000.00 या उससे कम है, उन्हें सफेद रंग का राशन कार्ड निर्गत किये जाने का प्राविधान मेरी सरकार द्वारा किया गया है। इन कार्डधारकों को 4.65 रु0 प्रति किलो गेहूँ तथा 6.15 रु0 प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के क्रम में प्रदेश में कुल बी0पी0एल0 कार्डधारकों की संख्या 4,98,000 है।

88. अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत अप्रैल, 2001 से भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों में भी निर्धनतम परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना चलाई गयी है और इस योजना के अधीन अप्रैल, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक 21547 मी0टन चावल का आवंटन हुआ जिसके सापेक्ष मेरी सरकार ने 19861.0373 मी0 टन का उठान किया है। इस योजना के अन्तर्गत कार्डधारकों की संख्या 76300 है। यह संख्या बी0पी0एल0 संख्या में सम्मिलित है।

89. विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत समाज के असहाय एवं निराश्रित वर्ग के लोगों को भी अन्त्योदय अन्न योजनाओं के लाभ से आच्छादित किये जाने के लिये प्रथम चरण में 38,200 परिवारों का चयन मेरी सरकार द्वारा किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के अन्तर्गत विधवाओं के परिवार, एकल पुरुष/एकल स्त्री जनजाति परिवार को लक्षित करते हुये उत्तरांचल के लिये द्वितीय चरण में 36,700 परिवारों का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष मेरी सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 36,700 पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है।

90. "अन्नपूर्णा योजना" में 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, किन्तु जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को इस योजना के अन्तर्गत 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के अधीन मेरी सरकार द्वारा कुल 8782 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

91. राजकीय प्राइमरी स्कूलों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 10 माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान मेरी सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अधीन किया गया है।

92. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन जनता को रोजगार/खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारतवर्ष में 100 करोड़ मानव दिवसों के सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तरांचल में 61,83,000 मानव दिवस सृजित किये जाने का लक्ष्य मेरी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

93. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिये मिट्टी तेल का आवंटन गैस रहित उपभोक्ताओं को 05 से 07 लीटर प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गई है।

94. राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50,000 मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अधीन अद्यतन 24576.00 मी0टन धान की खरीद की जा चुकी है तथा खरीफ विपणन सत्र 2005–06 में लेवी चावल के क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 4.50 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है। इसमें स्टेट पूल के अन्तर्गत 1.40 लाख मी0टन तथा केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत 3.10 मी0टन चावल का संग्रहण किया जायेगा। दिनांक 28 फरवरी, 2006 तक कुल 253199 मी0टन चावल की खरीद की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 100579 मी0टन का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा 152620 मी0टन का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को किया जा चुका है।

95. रबी खरीद वर्ष 2005–06 में कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने 2.00 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद का लक्ष्य रखा है। विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा यथा खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम, उत्तरांचल कोऑपरेटिव विपणन संघ एवं एग्रो इकाई द्वारा रबी विपणन सत्र 2005–06 में कुल 40477.574 मी0टन गेहूँ की खरीद की गई है।

96. मेरी सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में केन्द्र द्वारा किये गये संशोधनों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए उपभोक्ताओं के हितों के लिए आवश्यक कदम उठाये गए हैं।

97. वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए जारी आबकारी नीति के अनुरूप विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊँ मंडल विकास निगम के अतिरिक्त पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड को दिये जाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है। मदिरा के व्यापार पर एकाधिकार समूह का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

98. मेरी सरकार ने उन होटल एवं रेस्तराओं को ही बार एवं बीयर बार अनुज्ञापन दिये जाने की योजना बनाई है जिनके प्रतिष्ठानों में विगत तीन वर्षों से पके हुए भोजन की बिक्री रुपया 3.00 लाख से अन्यून न हो।

99. उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थिति में अतिवृष्टि एवं भूस्खलन जैसी घटनाओं से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्यों को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रुपये 31.56 करोड़ लागत की 42 बाढ़ सुरक्षा योजनायें गतिमान हैं और लगभग रुपये 98.56 करोड़ लागत की 116 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करते हुए उनका विभागीय टी0ए0सी0 से अनुमोदन कराकर रु0 36.92 करोड़ लागत की 62 योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

100. मेरी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (विश्व बैंक) परियोजनान्तर्गत 349 नवीन प्राथमिक, 527 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1472 शिक्षा गारण्टी केन्द्र, 177 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की है। उक्त के अतिरिक्त इस परियोजना से 771 नवीन प्राथमिक विद्यालयों, 450 नवीन प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, 1174 प्राथमिक विद्यालय तथा 300 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण व 18448 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पेयजल व्यवस्था, चारदीवारी, शौचालय तथा 58 विकास खण्ड संसाधन केन्द्र व 666 संकुल संसाधन केन्द्रों का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया गया है।

101. मेरी सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 6–14 वय वर्ग के कुल 18.28 लाख बच्चों में से कुल 18.18 लाख (97.70 प्रतिशत) बच्चों को जो विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों में नामांकित हैं और प्रदेश के 11790 राजकीय/परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों से लगभग 8 लाख बच्चों को पका–पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत 14610 बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को भोजन माता के रूप में नियुक्त किया गया है।

102. मेरी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (विश्व बैंक) परियोजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुरूप पदों का सृजन कर उनमें अध्यापकों को नियुक्त किया है।

103. सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में जनपद पौड़ी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सत्येन मैत्रेय पुरस्कार प्राप्त किया है।

104. राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य साक्षरता प्राधिकरण की स्थापना करते हुए बच्चों की पठन दक्षता के विकास के लिए हरिद्वार, टिहरी तथा बागेश्वर में रूम–टू–रीड संस्था के सहयोग से रूम–टू–रीड कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा अंग्रेजी शिक्षण के रोचक तरीके से शिक्षण के लिए श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से कक्षा 4 हेतु रेडियो पाठ प्रसारण किया जा रहा है।

105. प्रदेश के 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम व ऊधमसिंह नगर तथा उत्तरकाशी जनपद में अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन के सहयोग से लर्निंग गारण्टी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक स्वामित्व एवं संसाधनों में वृद्धि हेतु डेवलप–ए–स्कूल कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।

106. प्रथम बार ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 के साथ कार्यक्रम समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है तथा वर्ष 2005–06 में डी0पी0ई0पी0 की अतिरिक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 पर महिला अध्यापिकाओं हेतु आवासीय कक्ष का निर्माण किया जा रहा है।

107. मेरी सरकार विद्यालयी शिक्षा जिसमें 14735 प्राथमिक, 3916 उच्च प्राथमिक, 837 हाई स्कूल एवं 1118 इण्टरमीडिएट कॉलेज संचालित हैं तथा कुल 22,98,331 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, के लिए निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता की दृष्टि से निस्तारित करने का प्रयास कर रही है–

- शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान योजना संचालित करना,
- प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 2700 पदों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति किया जाना,
- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की समयबद्ध पूर्ति हेतु नियमित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया जाना,

- राज्य के समस्त परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना जिससे कोई भी छात्र–छात्रा पाठ्य पुस्तक क्रय न कर पाने के कारण प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित न रहे। योजना से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ–साथ सामान्य जाति के कुल 15,97,109 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस शैक्षिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना,
- राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 253 नये राजकीय हाई स्कूलों एवं 147 राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान किया जाना,
- राज्य में शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 105 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना तथा प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किया जाना,
- माध्यमिक स्तर पर कार्यरत 876 शिक्षा बन्धुओं को तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान किया जाना एवं 1219 प्रवक्ताओं के पदों पर तैनाती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से गतिमान होना, इसी प्रकार 941 प्रवक्ता एवं 303 प्रधानाध्यापक (हाई स्कूल) के पदों को पदोन्नति से भरते हुए सभी विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का कार्य संचालित किया जाना,
- राज्य के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आरम्भ किया जाना,
- राज्य में विज्ञान शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु चालू वर्ष में 145 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना,
- राज्य के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना किया जाना,
- शिक्षा के साथ–साथ राज्य में खेल एवं स्काउटिंग के क्षेत्र में भी विभाग द्वारा उपलब्धियां हासिल किया जाना, तथा
- विद्यालय अभिलेखों में पिता के नाम के साथ–साथ माता का नाम अंकित किया जाना।

108. राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु श्रीनगर गढ़वाल में एडवांस इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन एजूकेशन तथा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं देहरादून में कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन की स्थापना मेरी सरकार द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में डायट एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चम्पावत तथा बागेश्वर में डी0आर0सी0 (मिनि डायट) की स्थापना की जा रही है।

109. मेरी सरकार ने वर्ष 2005–06 में प्रदेश में स्थापित पॉलिटेक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को और अधिक रोजगारोन्मुख बनाए जाने हेतु बल दिया है एवं सभी पाठ्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किया है। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुये भी पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है तथा इस हेतु आई0आई0टी0 रुड़की का सहयोग भी लिया जा रहा है।

110. कार्यदक्षता विकास पर विशेष बल दिया गया है। 78 व्याख्याता लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल के माध्यम से पॉलिटेक्निकों में नियुक्त किये गये हैं तथा 100 अतिथि व्याख्याता, अनुदेशक संविदा पर रखे गये हैं। साथ ही 80 व्याख्याताओं का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को प्रेषित किया गया है। पॉलिटेक्निकों में प्रवेश क्षमता 3200 से बढ़ाकर 3550 की गयी है।

111. उपरोक्त के अतिरिक्त मेरी सरकार ने सात नये राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना काण्डा एवं गरूड़ (जनपद बागेश्वर), गणाई गंगोली (जनपद पिथौरागढ़), नई टिहरी, वीरोंखाल (जनपद पौड़ी), रुद्रप्रयाग एवं गोपेश्वर (जनपद चमोली) में की है। ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी की सहायता से कालाढूंगी में स्वायत्तशासी पॉलिटेक्निक स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

112. प्रदेश में तीन शासकीय सहायता प्राप्त, एक विश्वविद्यालय का संगठक संस्थान तथा सात निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हैं। प्रदेश के तीनों शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों, एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु भारत सरकार के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित) परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

113. परियोजना में आई0आई0टी0, रुड़की में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संकाय विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। उत्तरांचल राज्य के कल्याण हेतु पानी एक पहल की योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जायेगा, जिससे छात्र ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकें एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जायेंगी।

114. राज्य में देहरादून में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है तथा प्रथम कुलपति द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की सभी तकनीकी संस्थायें इस विश्वविद्यालय से जुड़कर सामूहिक रूप से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी।

115. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना में कार्य करते हुए अदयतन छः राजकीय महाविद्यालयों को विकसित किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नैनीताल जनपद में चौखुटा–दोशापानी तथा बागेश्वर जनपद में कपकोट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं।

116. प्रदेश में संस्कृत विषय के सुचारु पठन–पाठन हेतु उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तर्ज पर हलद्वानी में मेरी सरकार द्वारा उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय तथा उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देहरादून में दून विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में इक्फाई (फाइनेन्शियल एनालिस्ट) विश्वविद्यालय व पेट्रोलियम ऊर्जा विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित हो चुके हैं तथा हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा की स्थापना का कार्य (Distance Education) विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरु हो रहा है।

117. मेरी सरकार के प्रयास से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट, राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग, नारायणनगर, मानिला, कर्णप्रयाग, नई टिहरी तथा राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) तथा 12 (बी) के अन्तर्गत मान्यताएं प्रदान की गई हैं।

118. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 160 प्रवक्ताओं की तैनाती विभिन्न महाविद्यालयों में की गयी है तथा नवनियुक्त प्राध्यापकों को फेकल्टी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही महाविद्यालयों के प्राचार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से नीपा (NIPA) द्वारा भी की जा रही है।

119. उत्तरांचल राज्य में खेलों के विकास की अपार संभावनाएं हैं, अतः मेरी सरकार ने विभिन्न खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कई लाभकारी योजनाएं संचालित की हैं। अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य में 10 स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित किये जा चुके हैं तथा 03 निर्माणाधीन हैं और 02 तरणताल तथा 07 इंडोरहाल निर्मित किये जा चुके हैं तथा 02 निर्माणाधीन हैं। विशेष प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तथा पिथौरागढ़, देहरादून, कोटद्वार एवं हल्द्वानी में आवासीय खेल छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में खेलों के विकास को सुनियोजित एवं समुचित तरीके से सीमित संसाधनों में विकसित किये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लिए प्रथम खेल नीति तैयार की गयी है, जिसमें खेल व खिलाड़ियों को समुचित प्रोत्साहन, विद्यालय स्तर पर खेलों के विकास, खेलों के लिए समुचित अवस्थापना सुविधाओं का विकास, राज्य में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, खेल निधि की स्थापना एवं खिलाड़ियों को नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिये जाने आदि महत्वपूर्ण प्राविधान रखे गये हैं।

120. राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देहरादून एवं हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है।

121. युवा पीढ़ी के हितार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद क्रियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाडियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में सोलह ग्रामीण स्टेडियम निमार्णाधीन हैं। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

122. मेरी सरकार ने नये प्रदेश के गठन के क्रम में बढ़ती हुई चुनौतियों तथा पुनर्गठन के संदर्भ में ढाँचा पूरा न होते हुए भी प्रदेश में सुचारु शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की है। राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में 5000 प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की सेवायें ली जा रही हैं। इसके दृष्टिगत रु0 50 लाख के प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष की स्थापना की गयी है, जिससे आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में स्वयंसेवकों को सहायता उपलब्ध करायी जा सके। प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रुपये 85 प्रतिदिन से बढ़ाकर रुपये 100 प्रतिदिन कर दिया गया है। मेरी सरकार के विशेष प्रयासों से 800 स्वयंसेवकों को विभिन्न संस्थानों में तैनात कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

123. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने एवं महिला मंगल दलों के गठन में सहयोग प्रदान करने हेतु ब्लॉक स्तर पर महिला संगठिका की तैनाती की गयी है। महिला संगठिका का मानदेय रुपये 700 से बढ़ाकर रुपये 1500 किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन महिला संगठकों के मानदेय एवं चयनित युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल को प्रोत्साहनस्वरूप रु0 2000.00 की सामग्री उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था जिला योजना में की गयी है।

124. प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल का गठन किया जा रहा है, जिससे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ग्राम स्तर तक पहुँचाने में मदद प्राप्त होगी। सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विवेकानन्द यूथ एवार्ड से सम्मानित करने की व्यवस्था की गयी है।

125. उत्तरांचल की गौरवमयी लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन हेतु प्रयास जारी हैं। लोक कलाओं के साथ–साथ संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस हेतु मेरी सरकार ने हिन्दुस्तानी संगीत एवं नृत्य शिक्षण के लिए प्रदेश में तीन महाविद्यालय अल्मोड़ा, पौड़ी एवं देहरादून में स्थापित किये हैं। इसके अतिरिक्त नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की स्मृति में अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी स्थापित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रेक्षागृह व संग्रहालय निर्मित किया जा रहा है।

126. मेरी सरकार द्वारा प्राचीन अभिलेखों के संग्रहण एवं संरक्षण के लिए देहरादून में राज्य अभिलेखागार स्थापित किया गया है। वर्तमान में राज्य अभिलेखागार भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय के

परिसर में स्थापित है। राज्य अभिलेखागार के लिए लगभग रुपये 112 लाख के अनुमानित व्यय से भवन निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

127. प्रदेश में वर्तमान में मात्र एक राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा नगर में स्थित है। मेरी सरकार द्वारा एक अन्य राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिस निमित्त राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ के भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। प्रदेश की पुरातात्विक सम्पदा के संरक्षण हेतु 11वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 19 संस्मारकों/पुरातात्विक स्थलों का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है तथा 12वें वित्त आयोग से भी पुरातात्विक स्थलों एवं संस्मारकों के संरक्षण के लिए धनराशि प्राप्त की गई है।

128. सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तथा ऐसी गतिविधियों में प्रदेश के सम्मानित एवं प्रख्यात संस्कृतिविदों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद् गठित की गयी थी। परिषद् द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गयी है जिस निमित्त अब तक वयोवृद्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 3 समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पर लिखी गयी पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय से वृद्ध एवं विपिन्न कलाकारों के लिए चलायी जा रही पेन्शन योजना के अंतर्गत राज्य गठन के पश्चात् पहली बार 21 पात्र कलाकारों का चयन कर उन्हें पेन्शन स्वीकृत की गयी है।

129. मेरी सरकार ने उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद व उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल उत्तरांचल के लोग क्षेत्रीय संस्कृति की प्रस्तुतियों को देख सकेंगे बल्कि उत्तरांचल के कलाकार अन्य राज्यों में जाकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर उत्तरांचल की संस्कृति से अन्य भारतवासियों को परिचित करा सकेंगे।

130. मेरी सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि राज्य के नागरिकों को प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर की उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायें। इसके लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

131. राज्य में अब तक 564 चिकित्साधिकारियों (पुरुष/महिला) को राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में तैनाती दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सा इकाइयों में पैरामेडिकल पदों के विरुद्ध भी तैनातियां कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नागरिक चिकित्सालय टनकपुर को संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने की कार्यवाही चल रही है।

132. राज्य के कुमाऊँ मण्डल में टेक्नॉलॉजी इनफोरमेशन फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेन्ट काउन्सिल (TIFAC) के माध्यम से बहुउद्देशीय सचल डॉयग्नोस्टिक वाहन द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पूर्व से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। गत वर्ष से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत स्कोवा द्वारा गढ़वाल मण्डल के चमोली तथा टिहरी जिले में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के सहयोग से सचल चिकित्सा वाहन "सेहत की सवारी" (Mobile Health Clinic) द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 09 मोबाइल चिकित्सा वैन का क्रय किया जा रहा है, जो कि आधुनिक चिकित्सा उपकरणों यथा एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड, सेमी ऑटोएनालाइजर आदि से सुसज्जित होंगी। इन मोबाइल चिकित्सा वैन को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक मेडिकल/पैरामेडिकल पदों का सृजन किया जाएगा।

133. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफलता पूर्वक प्रभावी संचालन किया है। इसके अन्तर्गत डाट्स प्रणाली द्वारा क्षय रोग की चिकित्सा सुविधा राज्य के सभी जनपदों में लागू कर दी है और 12 जनपदों में कुष्ठ रोग की व्यापकता की दर स्तर एक प्रति 10 हजार से कम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अंधता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 हजार केटेरेक्ट ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 26820 केटेरेक्ट ऑपरेशन किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंधता निवारण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन को सुदृढ़ किया गया है।

134. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजागरण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। एच0आई0वी0 मुक्त सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जिला स्तर के अतिरिक्त अन्य बड़े चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में दून चिकित्सालय, देहरादून के ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण कर State of Art Blood Bank बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में राज्य में 13 ब्लड बैंक स्थापित हो चुके हैं एवं संयुक्त चिकित्सालय, बौराड़ी, जनपद टिहरी, गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा, संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर एवं जवाहर लाल नेहरु जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में ब्लड बैंक की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के सभी 1756 इण्टरमीडिएट/हाई स्कूलों में एड्स एजूकेशन कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 16 स्थानों पर स्वैच्छिक परामर्श व परीक्षण केन्द्र कार्यशील किये जा चुके हैं। मां से नवजात शिशु को एच0आई0वी0 संक्रमण की रोकथाम हेतु पी0पी0टी0सी0टी0 (Prevention of Parents to Child Transmission of HIV) के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज जौलीग्रान्ट के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में निःशुल्क एन्ट्रीट्रोवायरल औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

135. मेरी सरकार पोलियो उन्मूलन के लिये दृढ़ संकल्प है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में निरन्तर राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस व सब राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित कर लक्षित बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक से लाभान्वित किया जा रहा है तथा गत वर्ष में दो बार राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस तथा छः बार संवेदनशील जनपदों में 'सब राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस' अभियान के रूप में चला कर लक्षित बच्चों को पोलियो की अतिरिक्त खुराक से लाभान्वित किया जा चुका है।

136. इस वर्ष जिला स्तर तथा बड़े चिकित्सालयों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर चिकित्सालयों में विशेषज्ञ के पदों के सृजन व तैनाती कर उनके वर्तमान भवनों का नवीनीकरण एवं नव निर्माण कर सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस लक्ष्य के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से राज्य के तीन संयुक्त चिकित्सालय (रुड़की, रामनगर, काशीपुर) में विशेषज्ञों के पदों का सृजन किया गया है एवं गत वर्ष एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं कोरोनेशन चिकित्सालय, दून चिकित्सालय, देहरादून में विशेषज्ञ के पदों का सृजन किया गया है। जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर में अतिरिक्त पदों का सृजन प्रस्तावित किया गया है।

137. चिकित्सालयों के वर्तमान उपलब्ध ढांचे में उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना द्वारा जिला पुरुष व महिला चिकित्सालय, देहरादून के चिकित्सालय भवनों के परिवर्तन, परिवर्द्धन व नव निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला चिकित्सालय, हरिद्वार, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी एवं संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर के चिकित्सालय भवनों के परिवर्तन, परिवर्द्धन व नव निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

138. जी0बी0 पंत चिकित्सालय, नैनीताल एवं कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून का नवीनीकरण/विस्तारीकरण किया जा रहा है व कोरोनेशन चिकित्सालय में शीघ्र ही ऑंकोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी।

139. उत्तरांचल के 95 विकास खण्डों में स्थापित चिकित्सा इकाइयों को चरणबद्ध रूप से उच्चीकृत किया जा रहा है।

140. राज्य में तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयास किए हैं और वर्ष 2005–06 में श्रीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के क्रम में बेस चिकित्सालय, श्रीनगर को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की व्यवस्था की जा रही है, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में 29 एकड़ भूमि की व्यवस्था करने के उपरांत मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही शुरु कर दी गयी है। इन संस्थाओं की स्थापना से राज्य में तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधा जनमानस को उपलब्ध हो पाएगी।

141. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं यात्रा मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना एवं दैविक आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार की सहायता से जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर के परिसर में ट्रोमा सेंटर के भवन का निर्माण किया जा रहा है। उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा बेस चिकित्सालय, श्रीनगर एवं जिला चिकित्सालय, देहरादून में ट्रोमा सेंटर का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय राजमार्ग/यात्रा मार्गों पर पांच नये ट्रोमा सेंटरों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

142. राज्य में ड्रग लैब एवं फूड लैब की सुविधा की कमी को भारत सरकार के सहयोग से ऊधमसिंह नगर में लगभग दूर किया जा चुका है।

143. मेरी सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा की दिशा में भी ठोस कार्यवाही करना चाहती है और जनता का रूझान होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, सचिवालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना करके चिकित्सीय लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का गठन भी किया है और जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून में तीन चिकित्सालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

144. मेरी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये 'हिम मुस्कान प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत ऐसे बच्चे, जिनके क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट थे, को खोजकर निःशुल्क शल्य क्रिया प्रदान करने का प्रयास किया गया है और इस योजना में अब तक 675 से अधिक बच्चों की निःशुल्क शल्य चिकित्सा कराकर लाभान्वित किया गया है।

145. मेरी सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा की दिशा में भी ठोस कार्यवाही करना चाहती है और जनता का रूझान होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की ओर होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, सचिवालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों में, होम्यापैथिक चिकित्सालयों की स्थापना करके, चिकित्सीय लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने होम्योपैथिक मेडिसन बोर्ड का गठन भी किया है और जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून में तीन चिकित्सालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इसी क्रम में बीस होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की लोक सेवा आयोग द्वारा एवं तैंतीस चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति भी की जा चुकी है।

146. उत्तरांचल में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा विशिष्ट चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रारम्भिक स्तर पर

प्रत्येक जनपद में कम से कम एक–एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना भी की जा चुकी है।

147. गरीबी उन्मूलन, जन सामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने, उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए योजनायें बनाने, संवेदनशील प्रशासन एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम की संकल्पना की गई थी। इन संकल्पनाओं को मूर्त रूप दिये जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है और मेरी सरकार के प्रयासों से गत वर्ष इन कार्यक्रमों में सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समन्वित एवं सर्वांगीण विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण के लिए आधारभूत आंकड़े, तत्सम्बन्धी विश्लेषण, सत्यापन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में आंकड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, कर्मचारी संगणना, विद्युत उपभोग सर्वेक्षण तथा शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कराये जाते रहे हैं ताकि राज्य आय, योजना निर्माण, प्रशासकों, शोधकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं के लिए एक आधार तैयार किया जा सके। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए वाह्य सहायतित योजनाओं के अधीन सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) एवं सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BADA) तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना का समन्वयन/सम्पादन किया जा रहा है।

148. जलागम प्रबन्ध विभाग द्वारा रुपया 187 करोड़ लागत की विश्व बैंक वित्त पोषित आई0डब्लू0डी0पी0 हिल्स–II का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है। इसके साथ ही विश्व बैंक की वित्त सहायता से रुपया 405 करोड़ लागत की उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना का प्रारम्भ किया गया है। यह परियोजना पर्वतीय जनपदों के 18 विकास खण्डों के 461 ग्राम पंचायतों में चलाई जानी है। 07 जनपदों के 12 विकास खण्डों में परियोजना कार्य प्रारम्भ किया गया है। अवशेष चयनित क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2006–07 से परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित जलागम प्रबन्धन की योजनायें चलाई जा रही हैं। इन सभी जलागम प्रबन्ध योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। इसके साथ–साथ भूमि एवं जल संसाधनों की उत्पादकता एवं जल के स्रोतों के संग्रहण पर विशेष ध्यान देना है। विभिन्न विभागों द्वारा जलागम पद्धति से उपचारित क्षेत्र एवं उपचार किये जा रहे क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के अवशेष उपचार योग्य क्षेत्र का उपचार जलागम पद्धति से किये जाने हेतु 15 वर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जा रहा है।

149. मेरी सरकार ने सिंचाई संसाधनों में वृद्धि हेतु जिला योजना एवं राज्य सेक्टर में किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त रुपये 59.25 करोड़ लागत की 169 नलकूप निर्माण की योजनायें, रुपये 65.06 करोड़ लागत की 16 नहर निर्माण की योजनायें तथा रुपये 4.02 करोड़ लागत की सात लिफ्ट नहर निर्माण की योजनाओं का वित्त पोषण नाबार्ड से स्वीकृत कराया है।

150. उक्त के अतिरिक्त सिंचाई के क्षेत्र में केन्द्र पोषित योजनाओं का भी पूर्ण लाभ मेरी सरकार द्वारा लिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा परिकल्पित ''भारत निर्माण परियोजना'' के अन्तर्गत राज्य में आगामी 4 वर्षों में लगभग 73980 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य प्रस्तावित करते हुए भारत सरकार को कतिपय सुझावों सहित पर्सपेक्टिव प्लान भेजा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत जमरानी तथा सोंग नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी वित्त पोषण कराया जाना प्रस्तावित है। इनमें से जमरानी बांध परियोजना की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी जा चुकी है और सोंग नदी पर प्रस्तावित परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार कराई जा रही है। इन परियोजनाओं के निर्माण से राज्य को सिंचाई के साथ–साथ पेयजल, जल–विद्युत, मत्स्य पालन एवं पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होंगे।

151. मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में लघु सिंचाई के क्षेत्र में आशातीत प्रगति करते हुए 912.47 कि0मी0 गूल, 479 हौज, 37 हाइड्रम तथा 129 बोरिंग पम्पसेट का निर्माण कर 6454.04 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है तथा लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागिता प्रबन्धन प्रक्रिया (पी0आई0एम0) लागू की गयी है।

152. भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 तक 72799.00 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

153. मेरी सरकार के अनुरोध पर प्राकृतिक भूमिगत जल पुनर्भरण एवं वर्षा जल संवर्धन के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 485.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कराई जा रही है।

154. संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप 11 वीं अनुसूची के 29 विषयों में से 14 विषयों को त्रि–स्तरीय पंचायतों के नियन्त्रण में लाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश में 4583 ''राजीव गाँधी पंचायत भवनों'' का निर्माण कराया जा रहा है। इनके निर्माण के पश्चात् प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतें पंचायत भवनों से आच्छादित हो जायेंगी। इसके लिये रुपये 78.10 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश के कुल निर्वाचित 57573 पंचायत प्रतिनिधियों में से 45317 पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा शेष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

155. विकास खण्डों के सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक विकास की योजनाओं के लिये कुल रुपये 23.75 करोड़ (प्रति क्षेत्र पंचायत रुपये 25 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

156. मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के माध्यम से 632 भवनों, 63 पुलिया तथा 285 कि0मी0 खच्चर मार्गों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय भवनों, विद्यालयों, जनपद मुख्यालयों, आपदा प्रबंधन एवं ग्राम्य विकास की योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।

157. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, ग्रामीण आवास हेतु इन्दिरा आवास योजना तथा ग्रामीण संयोजकता हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार राज्य में सक्रियतापूर्वक इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य के 376502 बी0पी0एल0 परिवारों के सापेक्ष 50 प्रतिशत परिवारों के 18000 समूह और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में 19249 समूह गठित किये गये हैं, 11067 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया जा चुका है। 63814 समूह स्वरोजगारियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है।

158. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी, चम्पावत तथा चमोली का चयन किया गया है। इस योजना में पंजीकृत मजदूर परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारन्टी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के 05 जनपदों टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के 17 विकास खण्डों में 42960 परिवारों के सहायतार्थ वाह्य सहायतित परियोजना आई0एफ0ए0डी0 स्वीकृत करायी गयी है। परियोजना में चयनित ग्रामों में उन्नत प्रजाति के चारा घास रोपण, वर्मी कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहन, क्रायलर तथा रवि फसलों के बीजों का वितरण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

159. ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में माह दिसम्बर, 2005 तक 9993 आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना तथा नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत किया गया है। मेरी सरकार द्वारा अगस्त, 2004 से नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना का वृहत्तररूप से संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रुपये 692.00 लाख की अतिरिक्त बजट व्यवस्था करके 11000 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2005 तक 4456 आवासों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु रुपये 201.04 करोड़ से 163 मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 767.82 कि0मी0 की स्वीकृति है जिसमें से प्रथम चरण की 67 कार्यों जिनकी कुल लम्बाई 293.71 कि0मी0 है, को पूर्ण कर रुपये 56.65 करोड़ व्यय किया जा चुका है। द्वितीय चरण की 55 योजनायें जिनकी कुल लम्बाई 182.32 कि0मी0 है, को पूर्ण कराकर रुपये 73.39 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा 40 कार्यों का निर्माण प्रगति पर है। तृतीय एवं चतुर्थ (बैच–1) चरण हेतु रुपये 165.90 करोड़ से 129 मार्गों, जिनकी कुल लम्बाई 1014.85 कि0मी0 है, के निर्माण से पूर्व की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं।

160. मेरी सरकार डेरी विकास में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण देने, प्राथमिक पशु स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने तथा नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों को उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगी।

161. मेरी सरकार वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्तर्गत समन्वित डेरी विकास योजना एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजना के क्रियान्वयन, निजी क्षेत्र में दुग्धशालाओं की स्थापना तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में दुग्ध विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर संचालित कराना सुनिश्चित करायेगी।

162. मेरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि प्रदेश में उपलब्ध कुल पशु सम्पदा 49.43 लाख व कुक्कुट सम्पदा 19.84 लाख का विकास इस दृष्टि से किया जाये कि उनकी उत्पादन क्षमता व उत्पादकता में निरन्तर अभिवृद्धि करते हुये, पशुपालक, कृषक एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो सकें और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशुधन की उन्नत नस्लों के संरक्षण, संवर्द्धन, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रमों को वर्तमान में चालू योजना में मेरी सरकार द्वारा सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है।

163. उत्तरांचल में मत्स्य पालन की दृष्टि से मूल्यवान जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मेरी सरकार मत्स्य विकास के लिए इस सम्पदा का समुचित उपयोग करने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेज द्वारा पूरे राज्य में मात्स्यिकी विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसे आधार मानकर अग्रतर रणनीति एवं कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे। ट्राउट मात्स्यिकी विकास के लिए फ्रांस सरकार से सहयोग का आश्वासन प्राप्त हो चुका है। मत्स्य प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं के सृजन के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

164. उत्तरांचल प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को फसली ऋण एवं कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब कृषक जिन्हें अपने कार्यों के सम्पादन हेतु महाजनों से ऊँचे ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था, उन्हें शोषण से मुक्त करने में सहकारी समितियों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में मेरी सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है–

- राज्य में किसानों को घटी ब्याज दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना;
- सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन/मध्यकालीन, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं आवास निर्माण हेतु लिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दरों का क्रमशः चार, साढ़े पांच एवं तीन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना;

- राज्य के कृषकों को ट्रैक्टर/ट्राली क्रय करने हेतु सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दरों का साढ़े पांच प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना;
- लघु एवं सीमांत कृषकों तथा श्रमजीवी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के वैयक्तिक उपयोग हेतु कम्प्यूटर क्रय करने हेतु सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लिये गये ऋणों पर लागू ब्याज दरों का चार प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना;
- न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषि ऋणों को आगामी तीन वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य;
- राज्य में सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से महिला बचत समूहों को जोड़ा गया है। इन समूहों को इनकी बचत के आधार पर सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना;
- नारायण कृषक कवच योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों का मुफ्त वैयक्तिक दुर्घटना बीमा एवं जिला सहकारी बैंक के खाताधारकों का रुपये 8.50 वार्षिक प्रीमियम पर 50,000 रुपये का बीमा किया जाना; तथा
- सहकारी श्रम समितियों को एक लाख रुपये तक का कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये आवंटन का प्राविधान किया जाना।

165. कृषि उत्पादन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे कृषि निवेशों का अधिकाधिक अंश सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

166. चीनी उद्योग उत्तरांचल राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कुल 10 चीनी मिलों में से 04 सहकारी, 02 सार्वजनिक एवं 04 निजी क्षेत्र की मिलें हैं। राज्य में लगभग 1.50 लाख गन्ना उत्पादक हैं तथा इनमें लगभग 9,000 श्रमिक शक्ति कार्यरत हैं और चीनी उद्योग पर 8 से 10 लाख जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना कृषकों के वृहद हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2005–06 में सामान्य गन्ने की प्रजाति (General Varieties) का मूल्य 115.00 रुपये प्रति कुन्टल एवं अगेती प्रजाति (Early Varieties) का गन्ना मूल्य 120.00 रुपये प्रति कुन्टल घोषित किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में रुपये 8.00 प्रति कुन्टल अधिक है। उक्त के साथ ही कृषकों के हितों के दृष्टिगत विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों में अधिक से अधिक गन्ना उत्पादित किए जाने हेतु खाद, कीटनाशक दवाएं, ट्रेक्टर व पशुचालित यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे है।

167. गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा चलाई जा रही पांच वर्षीय गन्ना बीज बदलाव योजना के अंतर्गत गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित प्रजातियों के साथ–साथ प्रदेश के

बाहर से प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने हेतु माइको न्यूट्रैन्टस एवं जैविक उर्वरकों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के सहयोग से गन्ना कृषकों एवं वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षणों के माध्यम से परिचित कराया जा रहा है। कृषकों एवं वैज्ञानिकों का अन्तर्राज्यीय भ्रमण भी प्रस्तावित है। वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अंतर्गत 165.71 लाख रुपये, मैक्रोमैनेजमेंट मोड योजना का 43.80 लाख रुपये तथा एन0सी0डी0सी0 के अंतर्गत 35.00 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है।

168. वानिकी उत्तरांचल राज्य की एक प्रमुख गतिविधि है। राज्य का वन क्षेत्र 64.79 प्रतिशत है, जिससे यहाँ की प्रत्येक गतिविधि में वानिकी क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान रहता है।

169. उत्तरांचल राज्य की स्थापना के बाद मेरी सरकार ने वानिकी को एक नयी दिशा एवं गति प्रदान करते हुए निम्न बहुआयामी तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें–

- प्रदेश में बायोफ्यूल (जैट्रोफा) तथा बांस एवं रिंगाल, च्यूरा, चूक (सीबकथार्न) थुनेर आदि की रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनायें लागू की गयी हैं। तराई एवं भाबर क्षेत्र में यूकेलिप्टस तथा पापुलर के क्लोनल वृक्षारोपण स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में 16 हाइटेक नर्सरियों तथा 40 'सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस' की स्थापना की गयी है। रोजगारपरक वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत बांस एवं रेशा प्रजातियों का 6500 हेक्टेयर तथा जैट्रोफा प्रजातियों का 8759 हेक्टेयर में रोपण किया गया है।
- वानिकी के क्षेत्र में जनसहभागिता को वन प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए जनसमुदायों को वानिकी में वन पंचायतों के माध्यम से भागीदारी प्रदान की जा रही है। वर्तमान तक 14643 ग्रामों के सापेक्ष 12089 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है तथा नयी वन पंचायत नियमावली, 2005 लागू की गयी है।
- वन मार्गों का विशेष सुदृढ़ीकरण(प्रोजेक्ट मोड) के अन्तर्गत 77 वन मार्गों को चिन्हित किया गया है तथा इसके डी0पी0आर0 बनाने का कार्य ई0पी0आई0 द्वारा किया जा रहा है।
- दूरस्थ वन क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के परिवारों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में हल्द्वानी, रामनगर, देहरादून तथा उत्तरकाशी में पुलिस लाईन की भांति फारेस्ट लाईन तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को वन विभाग की कैण्टन लाज परिसर हस्तान्तरण करने हेतु कार्यालयों एवं आवासों का निर्माण तथा देहरादून में आवासों तथा कार्यालय भवनों का निर्माण भी इसी योजना में सम्मिलित किया गया है।
- वर्ष 2005–06 में उत्तरांचल शासन द्वारा डा. सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कालेज के अन्तर्गत हार्ट कमान्ड सेन्टर/विशेष नेत्र चिकित्सालय तथा कैंसर उपचार केन्द्र की स्थापना

तथा हॉस्पिटल संचालन हेतु रु0 48.95 करोड़ का अनुदान किया गया है। उत्तरांचल फॉरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी के नियंत्राणाधीन Institute of Allied Health (Paramedical) Services, Education & Training, Haldwani में पैरामेडिकल के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के निम्न 6 कोर्स स्वीकृत किए गए हैं।

- मेडिकल कॉलेज परिसर में पीपुल्स कॉलेज एक्सटेन्सन इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई है. इस इन्स्टीट्यूट का प्रमुख उद्देश्य पूर्व में ग्राम्य विकास संस्थान के नियंत्रणाधीन पीपुल्स कॉलेज में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं हेल्थ एक्सटेन्सन से संबंधित कार्यक्रम संचालित करना है।
- रामगंगा नदी में महासीर संरक्षण परियोजना को इको–टूरिज्म से जोड़ते हुए 4 कैम्पिंग साइट का विकास किया गया है।
- उत्तरांचल राज्य को भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 33 वन विकास अभिकरणों में रु0 50.07 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है।
- विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु नई वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित की गयी है जिसमें मुख्य रूप से रोजगार एवं आयपरक वृक्ष प्रजाति के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा तीनों वितानों (कैनापी) के वृक्षारोपण पर बल दिया गया है।
- मेरी सरकार द्वारा वन भूमि की पुरानी लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति के लिए पुनरीक्षित नीति घोषित कर दी गयी है। अवस्थापना की मूलभूत ग्रामीण सुविधाओं के साथ–साथ जल विद्युत एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इसे और अधिक सरलीकृत किया गया है।
- बारहवें वित्त आयोग (भारत सरकार) ने रु0 35 करोड़ की धनराशि वन विभाग को Preservation of Forests हेतु पाँच वर्षों के लिए (रु0 7 करोड़ प्रतिवर्ष) स्वीकृत की है।
- वन क्षेत्रों से वन उपज एवं खनिजों से राजस्व में वृद्धि के लिए वन निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा, खनिजों के उत्पादन तथा स्टोन क्रेशरों पर प्रभावी नियंत्रण से विभागीय आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष दुगुना राजस्व प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2005–06 में जनवरी, 2006 तक विभाग में कुल रु0 104.2 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है वर्ष 2005–06 के दौरान 182880 कुन्तल लीसा उत्पादन हुआ तथा लीसा से रु0 3475 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2004–05 में कुल 209390 घनमीटर गोल प्रकाष्ठ का उत्पादन किया गया है तथा कुल 53351 घनमीटर चट्टा जलौनी लकड़ी का उत्पादन किया गया है।

170. मेरी सरकार ने राज्य को औषधि एवं सगंध उत्पादन के क्षेत्र में विकसित करने के उद्देश्य से औषधि एवं सगंध पादप बोर्ड का गठन किया गया है तथा राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है और ऋषिकेश में एक हर्बल गार्डन एवं राज्य भर में 381 जड़ी–बूटी पौधालयों की स्थापना की गयी है, जिनमें 25.47 लाख पौध उपलब्ध हैं।

171. उत्तरांचल की जैव विविधता एवं विभिन्न भौगोलिक आकर्षण इको–टूरिज्म के सन्दर्भ इस प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाते हैं। उत्तरांचल सरकार एवं विशेष रूप से वन विभाग इको–टूरिज्म के महत्व को आय के एक मुख्य स्रोत एवं जैव विविधता संरक्षण के Tool के तौर पर लेते हुए इस क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत हैं, तथा–

- ग्रामीण पर्यटन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिए 10 परियोजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी। उत्तरकाशी जनपद में अगोड़ा व मोटाड़, देहरादून में कोटि, अल्मोड़ा जनपद में जागेश्वर और चमोली जनपद में माणा के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- मेरी सरकार ने वर्ष 2004–05 में आरम्भ की गयी नयी योजना इको–टूरिज्म के अन्तर्गत चूनाखान एवं जोशीमठ में इको–टूरिज्म केन्द्र की स्थापना की गयी है एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- वर्ष 2005–06 के दौरान इको–टूरिज्म हेतु राज्य सरकार द्वारा रु0 158.20 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।
- मेरी सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से उपलब्ध रु0 583.00 लाख से वन विभाग में पर्यटन सम्बन्धी 36 परियोजना/स्थलों पर कार्य किया जा रहा है।

172. फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिला है। इस प्रकार प्रदेश में नन्दा देवी वायोस्फियर रिजर्व के अन्तर्गत दो राष्ट्रीय पार्क–नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है।

173. देश के प्रथम संरक्षण आरक्षित झिलमिल झील तथा आसन वेटलैण्ड को लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम द्वारा देहरादून में 14 अगस्त, 2005 को किया गया। झिलमिल झील में लुप्त हो रहे "बारह सिंहा हिरन" की उत्तरांचल में एकमात्र विचरण स्थली है। आसन वेटलैण्ड प्रवासी पक्षियों के सुरक्षित विचरण हेतु एक महत्वपूर्ण स्थल है।

174. इस वर्ष कुल 170944 भारतीय पर्यटक तथा 11431 विदेशी पर्यटक पार्क एवं अन्य जीव विहार में भ्रमण पर आये जिससे राज्य को कुल रु0 201078 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है।

175. राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत लम्बे समय से बसे 1390 वन गूजर परिवारों को पथरी एवं गैण्डीखत्ता में पुनर्वासित करने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मेरी सरकार के प्रयत्नों से इन विस्थापन बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। गुर्जर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत रु0 3.61 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की गयी है। 734 परिवारों को गैण्डीखत्ता व पथरी में पुनर्वासित किया जा चुका है। शेष 656 परिवारों में 572 परिवारों को भी भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष 84 परिवारों के पुनर्वास हेतु आवश्यक वन भूमि के लिये भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

176. भूमि हस्तान्तरण के मामलों को स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में विशिष्ट ध्यान किया गया है, ताकि नवसृजित राज्य में विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो। प्रदेश के सृजन के पश्चात् विभाग के प्रयासों से 1054 प्रकरणों में वन भूमि विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरण की कार्रवाई की जा चुकी है।

177. मेरी सरकार ने हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन का शुभारम्भ वर्ष 2003 मे किया था और अब तक इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से फलों के लिए 6000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भाग में वृक्षारोपण, सब्जियों के लिए 3000 हेक्टेयर, 258 हेक्टेयर क्षेत्र में मसालें, 329 हेक्टेयर में पुष्प की खेती तथा औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण किया है।

178. विभागीय योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष 1229 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों का रोपण, 9.14 लाख फल पौध वितरण, 581 कुन्तल सब्जी बीज वितरण, 98 लाख सब्जी पौध वितरण, 456 कुन्तल आलू बीज वितरण, 18333 हेक्टेयर में पौध सुरक्षा कार्य 2495 औद्यानिक संयंत्र वितरण 223 कुन्तल अदरख बीज वितरण, 26 कुन्तल हल्दी बीज वितरण, 5.68 लाख फल पौध उत्पादन, 53.07 कुन्तल सब्जी बीज उत्पादन तथा 43.00 लाख सब्जी पौध उत्पादन किया गया है।

179. उत्तरांचल में फलों के विपणन हेतु सरकार के सार्थक पहल से उत्तरांचल गठन के बाद प्रथम बार बाजार हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके अधीन सेव की खरीद रु0 3.50 समर्थन मूल्य पर कृषकों से की गयी तथा माल्टा फल की खरीददारी भी रु0 4.00 प्रति कि0ग्रा0 समर्थन मूल्य पर कृषकों से किया गया है।

180. उत्तरांचल में शीतोष्ण फलों की उत्पादकता बढाये जाने के दृष्टिकोण से अमेरिका एवं न्यूजीलैण्ड से उच्च गुणवत्ता युक्त निर्यातमुखी प्लान्टिग मैटीरियल आयात कर राजकीय उद्यानों में बडवुड बैंक की स्थापना की गयी है।

181. वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय बागवानी संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (FAO) द्वारा संचालित सेब उत्पादन सुधार कार्यक्रम इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर

की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कृषकों, उद्यानपतियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा सेब पर व्यापक जानकारियाँ प्रदान की गई हैं।

182. उत्तरांचल में पांच खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से की गई है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता 6000 मै0 टन से अधिक है। औद्यानिकी के क्षेत्र में विद्वता एवं उत्कृष्ट कार्यों हेतु गत वर्ष में मेरी सरकार द्वारा एक उद्यानपंडित व दो उद्यानविदों को विभूषित किया गया है।

183. राज्य में लीची निर्यात क्षेत्र, पुष्प निर्यात क्षेत्र, जड़ी बूटी निर्यात क्षेत्र एवं बासमती निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गयी है। इसके अंतर्गत क्रमशः 29 मै0 टन लीची, 414 मै0 टन बासमती, 1.18 मै0टन पुष्प (जरबेरा एवं लिलियम) तथा रु0 24.5 लाख मूल्य की जड़ी बूटी का निर्यात किया गया। इस वर्ष ब्रोकली, स्नोपी, बेबीकार्न एवं रॉकमेलन उत्तरांचल के उत्पादकों से दुबई निर्यात करने का प्रयास किया जा रहा है।

184. मेरी सरकार द्वारा निष्प्रयोज्य भूमि का सदुपयोग कर 379 हेक्टेयर में चाय के कृषिकरण का प्लान्टेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। चाय के प्रसंस्करण हेतु कौसानी तथा चम्पावत में फैक्ट्री स्थापित की गयी है। कौसानी फैक्ट्री द्वारा निर्मित चाय (Orthodox Tea) का निर्यात दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैण्ड तथा जापान आदि देशों को किया जा रहा है।

185. उत्तरांचल में जड़ी बूटी के कृषिकरण हेतु छब्बीस प्रजातियों का चयन किया गया है, जिनके कृषिकरण लागत मूल्य पर पचास प्रतिशत तक अनुदान स्वरूप अधिकतम रुपये एक लाख तक दिये जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित जड़ी बूटी विकास से संबंधित 140 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। जड़ी बूटी एवं संगध पौधों का कृषिकरण कर रहे कृषकों के निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है। संगध पौधों के आसवन यूनिटों की स्थापना पर 95 प्रतिशत राजसहायता की व्यवस्था की गयी है। जर्म प्लाज्म/रोपण सामग्री उत्पादन हेतु इस वर्ष मेरी सरकार द्वारा चमोली जनपद में दो (कोटियालसैण एवं परसारी), टिहरी में एक (धनौल्टी), पिथौरागढ़ में एक (मुनस्यारी) एवं ऊधमसिंह नगर में एक (गदरपुर) राजकीय उद्यान लिये गये हैं। जड़ी बूटी मण्डियों (ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर) के माध्यम से लगभग 14634 कुन्तल जड़ी बूटियों का विक्रय किया गया है।

186. राज्य में रेशम एवं टसर वस्त्र का उत्पादन कर उत्तरांचल रेशम फेडरेशन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विपणन की कार्यवाही मेरी सरकार द्वारा की जा रही है। उत्तरांचल में इस वर्ष अब तक 3411 व्यक्तियों के द्वारा रेशम कीट पालन का कार्य सम्पादित कर 112 टन कोया उत्पादित किया है।

187. कृषि विकास कार्यक्रम में किसानों की अहम भूमिका है। आधुनिक कृषि तकनीक में हो रहे परिवर्तनों को किसानों तक सुव्यवस्थित ढंग से पहुँचाने हेतु जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेन्सी (ATMA) की स्थापना के साथ केन्द्र पोषित 'सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस' को उत्तरांचल में लागू किया गया है, जिससे समस्त जनपद आच्छादित है।

188. विकास खण्ड स्तर पर किसानों के साथ सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

189. राज्य में भिन्न–भिन्न ऊँचाईयों पर पाई जाने वाली सस्य दशाओं के कारण फसलों में काफी विविधता पाई जाती है। विभिन्न स्थितियों में उगाई जाने वाली विशिष्ट फसलों के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का सर्वथा अभाव होने के कारण गत वर्ष में "पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का शोध कार्यक्रम" अनुमोदित किया गया है। पर्वतीय फसलों जैविक खेती आधारित इस शोध कार्यक्रम की अवधि तीन से चार वर्ष तक की होगी, जिसके लिये विभिन्न ऊँचाईयों पर 12 स्थितियों का चयन किया गया है।

190. पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उन्नत प्रजाति के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गत वर्ष कोरवैली बीजोत्पादन कार्यक्रम को प्रदेश की अन्य घाटियों तक विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

191. गत वर्ष में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से कतिपय उन्नतशील कृषि यंत्रों के प्रदर्शन आयोजित कराने का कार्यक्रम भारत सरकार से स्वीकृत कराया गया है।

192. वर्ष 1960 को स्थापित पंतनगर विश्वविद्यालय में दस संकायों के अंतर्गत 139 पाठ्यक्रमों में उपाधियाँ प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा फसल उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम, सब्जी, वानिकी, औषधि, स्कंध, मौन पालन, फल पुष्प आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अब तक फलों, सब्जी, पुष्प एवं खाद्य फसलों की 185 प्रजातियाँ विकसित की जा चुकी हैं जिनमें से 31 प्रजातियाँ पर्वतीय क्षेत्रों के लिये हैं।

193. विश्वविद्यालय का मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशरूम शिक्षा, शोध एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी मशरूम केन्द्र के रूप में अपने योगदान से देश और प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है।

194. बायो डीजल उत्पादन हेतु जैट्रोफा (रत्नजोत) में प्रजाति विकास का कार्य चल रहा है और दो नयी ऐसी किस्मों को चुन लिया गया है जिनकी उपज दस टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो सकती है।

195. विश्वविद्यालय को हस्तांतरित राज्य रक्षालय संस्थान, पटुवाडांगर, नैनीताल में वैक्सीन उत्पादन के सशक्तिकरण हेतु जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है।

196. किसानों को नई कृषि तकनीक की जानकारी तथा उनके समस्याओं के समाधान हेतु राज्य के तेरह जनपदों में से विश्वविद्यालय द्वारा ग्यारह जनपदों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा दो जनपदों में विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक जनपद में कृषि विकास से संबंधित विभागों से तालमेल कर कृषि विकास हेतु कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पोषित कृषि तकनीकी प्रबंधन संस्थान 'आत्मा' ने प्रदेश के तीन जनपदों–ऊधमसिंह नगर, नैनीताल व देहरादून में कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

197. उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता सहित कई जन कल्याणकारी योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 106 कृषकों को व्यक्तिगत दुर्घटना राहत के अन्तर्गत रु0 14.55 लाख, कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना के अंतर्गत 17 कृषकों को रु0 0.80 लाख, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत रु0 19.91 लाख, उत्तरांचल में फ्लोरीकल्चर पार्क की स्थापना हेतु एपीडा को रु0 12.14 लाख, गौ सम्वर्द्धन हेतु उत्तरांचल लाइव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड को रु0 9.66 लाख, इण्टरनेशनल माउन्टेन वर्ष 2002 के सफल संचालन हेतु रुपये एक लाख, मण्डी समितियों के आधुनिकीकरण एवं क्षमता उपयोग हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु आई0डी0एफ0सी0 को रु0 दस लाख, एग्री टैक को रु0 2.50 लाख, कर्मचारी कल्याण निधि से मृतक आश्रितों को रु0 2.10 लाख एवं उत्तरांचल के गन्ना किसानों के आर्थिक कठिनाईयों के निवारणार्थ गन्ना विभाग को जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से रु0 1000.00 लाख का भुगतान किया गया है।

198. पेयजल हेतु इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प स्थापना, पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण योजना, कृषक उत्पादक संग्रह केन्द्र निर्माण, रोप–वे निर्माण, स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं में मैचिंग ग्रान्ट आदि कई जन कल्याणकारी योजनायें भी कृषकों के हित में चलाई जा रही हैं। मण्डी समितियों के क्षेत्रांतर्गत 448 नग सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी लम्बाई 543.02 कि0मी0 एवं लागत रु0 6509.64 लाख है। स्वीकृत सम्पर्क मार्गो के विरुद्ध अब तक 386.63 कि0मी0 लम्बाई की 342 सड़कें बन चुकी हैं, जिनकी लागत रु0 4347.78 लाख है। 106 नग सम्पर्क मार्ग जिनकी लम्बाई 145.39 कि0मी0 एवं लागत रु0 2161.86 लाख है, निर्माणाधीन है।

199. अनाज के उचित भण्डारण हेतु मण्डी स्थलों में भण्डार गृहों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 21 ग्रामीण गोदाम व 200 व्यापारी गोदाम मण्डी में निर्मित हैं। वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल बीज एवं तराई विकास निगम के माध्यम से 3.76 लाख कुन्तल बीज का उत्पादन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कौर वैली बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा

संसाधन क्षमता के विस्तार हेतु जनपद हरिद्वार के धनोरी में बीज विधायन संयंत्र एवं गोदाम निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

200. मेरी सरकार का यह प्रयास है कि बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों का मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण, जैविक उत्पादन प्रक्रिया एवं जैविक उत्पादनों का प्रमाणीकरण एवं उत्तरांचल राज्य में प्रमाणित बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाये। इस क्रम में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, चारा, सब्जी एवं मसालों की 40 विभिन्न फसलों की 184 से भी अधिक प्रजातियों के आधारिय एवं प्रमाणित बीजों का 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्रमाणीकरण किया गया है।

201. राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत राज्य के चयनित तीनों जनपदों–चम्पावत, चमोली तथा टिहरी गढ़वाल हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजनाएं तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत की गई है।

202. मेरी सरकार द्वारा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य के सीमान्त जनपदों के समस्त विकास खण्डों के संतुलित विकास हेतु सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है।

203. श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कराना विशेष रूप से श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ सुनिश्चित करना, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति, ग्रेच्युटी, बोनस आदि का भुगतान कराना तथा श्रमिकों के वेतन, ग्रेच्युटी एवं क्षतिपूर्ति के दावों की सुनवाई तथा निस्तारण करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस क्रम में मेरी सरकार ने–

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 को लागू करने के लिए उत्तरांचल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 प्रख्यापित किये गये हैं। इस अधिनियम के प्रवर्तन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा उत्तरांचल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
- कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को सम्मिलित करते हुये संगठित/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया गया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित नियोजनों जैसे कृषि, भवन निर्माण बांध तटबन्ध, होटल, वाणिज्य प्रतिष्ठान, मोटर परिवहन आदि कुल 51 अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया गया।

- राज्य में वैक्यूम पैन चीनी मिलों में नियोजित श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण त्रिदलीय समिति की संस्तुतियों पर मेरी सरकार द्वारा निर्णय कर दिया गया है।
- बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य के सभी जनपदों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरांचल में जनपद देहरादून को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना हेतु चिन्हित किया गया है तद्नुसार जनपद में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद बाल श्रम पुनर्वास समिति का गठन किया जा चुका है और योजना के उद्देश्य से खतरनाक प्रक्रियाओं में गैर सरकारी संगठन के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण के पश्चात् चिन्हित 6 वर्ष से 9 वर्ष तक के बाल श्रमिकों का सर्व शिक्षा अभियान के अधीन विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा तथा 9 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम आयु के चिन्हित बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से औपचारिक/अनौपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध कराकर, उन्हें मुख्य धारा में जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- प्रथम चरण में राज्य के आठ जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी एवं पिथौरागढ़ में केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता से सर्वेक्षण कार्य एवं समाचार पत्रों, नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बंधुवा श्रम सम्बन्धी जनजागरण कार्य किया गया तथा इस प्रयोजन हेतु एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है। दिनांक 01–02–06 को देहरादून में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा एक प्रभावी जनजागरण कार्यशाला आयोजित की गई है।
- राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड तथा उत्तरांचल श्रम कल्याण परिषद् का पुनर्गठन किया गया है।

204. मेरी सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में 73 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। आलोच्य वित्तीय वर्ष में 14 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी है।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भारत सरकार राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद् की मान्यता के लिए उन्हें मानक सूची के अनुसार साज–सज्जा सुसज्जित मानक क्षेत्रफल के भवनों का निर्माण एवं अनुदेशकों की उपलब्धता हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- भारत सरकार श्रम मंत्रालय की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल के तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आच्छादित किये गये हैं और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेन्टर ऑफ एक्लेन्स बनाया जा रहा है।

- भारत सरकार शिशुक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 38 विभिन्न व्यवसायों का शिशुक्षु प्रशिक्षण राजकीय एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों/उद्योगों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

205. उत्तरांचल में बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु 23 सेवायोजन कार्यालय/कैरियर काउंसिलिंग केन्द्र की स्थापना की गई है–

- सचल कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों की स्थापना,
- प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालय/कैरियर काउंसिलिंग नेटवर्किंग; और विकलांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्दों की स्थापना,
- शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना,
- राज्य की समेकित रोजगार नीति 2005 का प्रख्यापन।

206. मेरी सरकार ने श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा की एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारम्भ किया है। इस योजना में श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को सम्पूर्ण चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन रैस्ट कैम्प, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर व लालकुआं में चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा यथाशीघ्र इस योजना का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 50 शैय्याओं के दो चिकित्सालय क्रमशः देहरादून व काशीपुर में स्थापित करने की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

207. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप दोनों राज्यों के मध्य आपसी सहमति से कार्मिकों का बंटवारा किये जाने की व्यवस्था है। कार्मिकों के विभाजन के लिए गठित राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अद्यतन 70 विभागों/संवर्गों के अंतिम आवंटन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और अन्य संवर्गों में भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

208. मेरी सरकार ने सचिवालय के विभिन्न संवर्गों यथा समीक्षा अधिकारी के 82 पदों, अपर निजी सचिव के 70 पदों तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के 72 एवं सहायक लेखाकार के 20 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

209. मेरी सरकार ने कार्मिकों को दक्ष बनाने के उद्देश्य से अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं टंककों को विभिन्न विषयों एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, नैनीताल एवं सचिवालय परिसर

स्थित डी0एम0एम0सी0 में नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है तथा कार्मिकों की समस्याओं के निदान के लिए भी मेरी सरकार कटिबद्ध है। इसके अतिरिक्त सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों के लिए महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से ''क्रेच सेन्टर'' की स्थापना करायी गयी है तथा कार्मिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत क्रमशः सचिवालय परिसर में एक–एक होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक और विधान सभा में एक एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की गई है।

210. मेरी सरकार कर्मचारियों एवं शिक्षकों के कल्याण के प्रति भी वचनबद्ध है। गत वर्ष कर्मचारियों के हित में अनेकों उल्लेखनीय निर्णय लिये गये हैं। राज्य के सभी पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनरों के 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समायोजित किया गया है।

211. मेरी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। इस वर्ग के आरक्षित पदों को यथाशीघ्र भरे जाने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

212. उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मेरी सरकार ने इस राज्य में राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में प्रथम चरण में जिला देहरादून एवं जिला ऊधमसिंह नगर में स्थाई लोक अदालतों की स्थापना सम्बन्धी शासनादेश जारी किया जा चुका है।

213. बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 19 (2) में राज्य संशोधन करते हुए सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों का आर्थिक क्षेत्राधिकार रु0 25 हजार से बढ़ाकर रु0 एक लाख कर दिया गया है।

214. जिला न्यायाधीशों को पुनरीक्षण शक्ति प्रदान किये जाने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में राज्य विधान सभा द्वारा राज्य के लिए संशोधन पारित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति की अनुज्ञा के लिए प्रेषित किया गया था। अब महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुज्ञा प्राप्त हो गई है, तद्नुसार यह संशोधन उत्तरांचल राज्य में प्रभावी हो गया है।

215. मा0 सदस्यगण विधायी कार्यों के अतिरिक्त इस सत्र में वर्ष 2006–2007 के एक भाग के लिए लेखानुदान सहित बजट का पारण करेंगे, अतः मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में हमारा नवोदित राज्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

जय हिन्द